राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

Request for Proposal
Open Competitive (Limited) Bidding

वर्ष 2026–27 के खरीफ एवं रबी मौसम हेतु राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित किये जाने हेतु कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पैनलबद्ध एवं भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से रजिस्टर्ड व लाईसेन्स धारक बीमा कम्पनियों से अधिसूचित फसलों के वास्तविक प्रीमियम दर का प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु ई–निविदा का आमंत्रण।

विषय सूची

क्र. स.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	आरएफपी	4
2	निविदा सूचना फॉर एसपीपीपी पोर्टल	5
3	निविदा अनुसूची (Bid Schedule)	6
3	खण्डन (Disclaimer)	9
4	अनुभाग – I: परिचय (Section - I: Introduction)	10
5	अनुभाग – II: निविदा प्रक्रिया का विवरण (Section - II: Description of Bidding Process)	22
6	अनुभाग – III: बोलीदाताओं को निर्देश (Section - III: Instructions to Bidders)	24
7	अनुभाग – IV: बोलीदाताओं की योग्यता (Section - IV: Eligibility of Bidders)	26
8	अनुभाग– V निविदा की तैयारी एवं प्रस्तुतीकरण (Section - V Preparation and Submission of Bids)	27
9	अनुभाग– VI निविदा का खोला जाना एवं मूल्यांकन (Section - VI Bid Opening and Evaluation)	30
10	अनुभाग– VII अधिसूचना एवं बीमा अनुबंध का क्रियान्वयन (Section - VII Notification and Execution of Contract)	34
11	अनुभाग – VIII ई–ग्रास से टेण्डर फीस, आरआईएसएल प्रोसिसिंग फीस एवं 500 रूपये के स्टाम्प की फीस जमा कराने हेतु निर्देश (Section - VIII Instruction of Payment of Tender Fee, RISL Processing Fee and Stamp Fee of Rs. Five Hundred)	35
12	अनुभाग– IX निविदा से सम्बन्धित विभिन्न अनुसूचियां (अनुसूची 1 से 10) (Section - IX Various Schedules of Tender {Schedule 1 to 10})	38
13	Schedule 1: Grievance Handling Procedure Appeals Format	39
14	Schedule 2: Memorandum of Appeal under the Raj. Transparency in Public	41
15	Schedule 3: Compliance with the Code of Integrity & No Conflict of Interest	52
16	Schedule 4: Self Declaration by Bidder	44
17	Schedule 5: Bidders Authorization Certificate	45
18	Schedule 6: Pre-Bid Query Format	46
19	Schedule 7: Financial Bid Format (BOQ Format)	47
20	Schedule 8: Confirmation to operate separate Bank Account for Crop Insurance Work in State	48
21	Schedule 9: Bid Submission Checklist	49
22	Schedule 10: Draft of Contract	50
23	Schedule 11: Bid Security, Performance Security Deposit, Additional Performance Security & Bank Guarantee format.	52

Annexure Number	Details	Page No
Annexure-A	Notified Base Coverage and Add-On Coverage)	A1
Annexure-B	अधिसूचित फसलवार, बीमित राशि (Sum Insured)	B1-B6
Annexure-C	Financial Bid Evaluation Method	C1
Annexure-D	बीमा इकाईवार गत 10 वर्षों के उपज संमक (IU wise 10 Years Yield Data) (2015 से 2024)	As Excel Enclosed
Annexure-E	गत तीन वर्ष के बीमा इकाईवार फसलवार बीमा व्यवसाय का विवरण (2022 से 2024)	As Excel Enclosed
Annexure-F	जिलेवार सिंचित व असिंचित श्रेणी के जिलों की सूची	F1
Annexure-G	कलस्टरवार जिलों की सूची	G1
Annexure-H	खरीफ 2024 हेतु राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के संमक	H1
Annexure-I	रबी 2024–25 हेतु राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के संमक	I1

RFP for Clusterwise, Districtwise and Cropwise Insurance Premium Rates from Empanelled Crop Insurance Companies by GOI, For Rajasthan through e-Bidding for the year 2026-27 (Kharif & Rabi Seasons)

Reference No.: CAg./ CI /PMFBY/tender/2025/ 2238 Dated: 04.06.2026

Mode of Bid Submission	Online though E-Procurement / E-Tendering system at https://eproc.rajasthan.gov.in
Procuring Authority	Commissioner Agriculture, Commissionarate of Agriculture, Pant Krishi Bhawan, Janpath, Jaipur (Rajasthan)-302005
Last Date & Time of Submission of Bid	*Date: 24.06.2026* *Time: 06:00 PM*
Date & Time of Opening of Bid	*Date: 25.06.2026* *Time: 12:00 PM*

Bidding Document Fee: Rs. 20000 (Rupees Twenty Thousand only)

Name of the Bidding Company / Firm:			
Contact Person (Authorised Bid Signatory):			
Correspondence Address:			
Mobile No.:		Telephone & Fax Nos.:	
Website & E-Mail:			

Department of Agriculture
Krishi Bhawan, Janpath, Jaipur (Rajasthan), 302005
Phone: 0141-2227676; Web: http://agriculture.rajasthan.gov.in,
Email: jdagr.pmfby25@rajasthan.gov.in

RajKaj Ref No.: 22641872
M e-Sign
Signature valid
Digitally signed by Naresh Kumar Goyal
Designation : Commissioner
Date: 2026.06.04 17:07:40 IST
Reason: Approved

(NIB for Publication on SPPP Portal)

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर
(Email - jdagr.pmfby25@rajasthan.gov.in)

क्रमांक : 2238 दिनांकः– 04.06.2026

निविदा सूचना

कृषि विभाग द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का राज्य में क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार से इम्पैनलित बीमा कम्पनियों से वर्ष 2026–27 (खरीफ एवं रबी मौसम सत्र) के लिए अनुमानित लागत राशि रू. 5000 करोड की निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा कलस्टर वाईज, जिले वाईज एवं फसल वाईज बीमा प्रीमियम के दर प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 24.06.2026 को 06:00 PM बजे तक ऑनलाईन ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर प्रस्तुत की जा सकेगी। निविदा का विस्तृत विवरण एवं शर्ते ई प्रोक्योरमेट पोर्टल (https://eproc.rajasthan.gov.in) राजस्थान, एसपीपीपी पोर्टल (https://sppp.raj.nic.in) राजस्थान एवं विभागीय वेबसाईट http://agriculture.rajasthan.gov.in पर देखा एवं डाउनलोड किया जा सकता है।

1. निविदा प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा फसल बीमा हेतु इम्पैनलित (Empanalled) बीमा कम्पनियों से निर्धारित तिथि तक ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर ऑन लाईन ही स्वीकार किये जायेगें।
2. निविदा के साथ निविदा प्रपत्र फीस राशि रूपये 20000/– का डीडी/बैंकर चैक आयुक्त कृषि, जयपुर के पक्ष में देय एवं निविदा प्रोसेसिंग फीस राशि रूपये 2500/– का डीडी/बैंकर चैक एमडी, आर एस आई एल, जयपुर के पक्ष में देय होना चाहिये। **निविदादाता को निविदा की अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत बोली सुरक्षा (Bid Security) राशि सिड्यूल 11 के अनुसार जमा करवानी होगी। उक्त** डीडी /बैंकर चैक तकनीकी निविदा के साथ स्केन कर अपलोड किया जाना अपेक्षित है तथा मूल डीडी/बैंकर चैक को कार्यालय में निर्धारित तिथि 25.06.2026 एवं समय 11:00 AM तक प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, इसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
3. निविदा शुल्क, निविदा प्रोसेसिंग शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि का भुगतान डीडी/बैंकर चैक के अलावा ई–ग्रास पोर्टल पर ऑन लाईन भी किया जा सकता है। ऑन लाईन भुगतान किया जाता है तो चालान की प्रति तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है तथा चालान की प्रति नोडल अधिकारी के ईमेल से निर्धारित तिथि से पूर्व प्रेषित करना होगा।
4. निविदादाता कम्पनी को समस्त कलस्टर की समस्त फसलों की बीमा प्रीमियम दरें प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा निविदा स्वतः अस्वीकृत हो जावेगी।
5. तकनीकी निविदा दिनांक 25.06.2026 को 12:00 PM बजे उपस्थित निविदादाता/अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ऑन लाईन खोली जावेगी।
6. सशर्त एवं अपूर्ण निविदाऐ स्वीकार नहीं होगी।
7. आरटीपीपी एक्ट 2012, नियम 2013 एवं जीएफ एण्ड एआर तथा राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा समय समय पर इस सम्बंध में जारी नियम एवं दिशा–निर्देश लागू होंगे।

(नरेश कुमार गोयल)
आयुक्त कृषि

Signature valid
Digitally signed by Naresh Kumar Goyal
Designation : Commissioner
Date: 2026.06.04 17:07:40 IST
Reason: Approved

निविदा अनुसूची (Bid Schedule)

Scheme Name	Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna (PMFBY)	
Tender Reference No.	CAg./ CI /PMFBY/*tender*/2026/2238	
Name & Address of the Procuring Entity	Name:	Commissioner Agriculture, Department of Agriculture, GoR
	Address:	Pant Krishi Bhawan, Jan Path, Jaipur (Rajasthan)-302005
Name & Address of the Project Officer In-charge (POIC)	Name:	Joint Director, Agriculture (Crop Insurance) Department of Agriculture, GoR
	Address:	Room No. 109, Pant Krishi Bhawan, Vaniki Path, Janpath, Jaipur (Rajasthan) – 302005
	Email:	jdagr.pmfby25@rajasthan.gov.in
Subject Matter of Procurement	RFP for Cluster wise, District wise and Crop wise Insurance Premium rates to implement PMFBY during the Year 2026-27 (Kharif & Rabi Seasons).	
Bid Procedure & Bid Submission Mode	Single-stage: Two cover method Open (Limited) competitive Online e-bid procedure at http://eproc.rajasthan.gov.in	
Bid Evaluation Criteria (Selection Method)	Cluster wise lowest evaluated bidder will be selected.	
Tender Value	Approx. Rs. 5000 Crore.	
Websites for downloading Bidding Document, Corrigendum's, Addendums etc.	http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.raj.gov.in, http://agriculture.rajasthan.gov.in	
Upload of Tender Document (Date & Time)	*Date 04-06-2026 &Time:05:00 PM*	
Pre Bid Meeting (Date & Time)	*Date 10-06-2026 & Time: 12:00 PM to 2:00 PM*	
Pre-Bid Meeting Venue	Committee Room, Pant Krishi Bhawan, Jan Path, Jaipur (Rajasthan)	
Pre-Bid Clarifications Upload Date & Time	*Date 11-06-2026 & Time:05:00 PM*	
Online Bids Submission (Start Date &Time)	*Date 11-06-2026 & Time: 06:00 PM*	
Tender Fee, RISL Processing Fee & Bid Security	*Bidding Document Fee of Rs. 20000/- (Rs. Twenty Thousand only) &* *RISL Processing Fee of Rs. 2500/- (Rs. Two Thousand five hundred Only)* ***Bid Security 2% of estimated Bid value(Rs 100 Crs)***	

RajKaj Ref No.: 22641872
M e-Sign

Signature valid
Digitally signed by Naresh Kumar Goyal
Designation : Commissioner
Date: 2026.06.04 17:07:40 IST
Reason: Approved

Submission of Tender Fee, Processing Fee & Bid security online through e-Grass Portal.	If bidder submit Tender & Processing Fee online through e-Grass Portal then physical submission not required but copy of fees deposit challan must be uploaded with tender document and sent on Nodal officer Email: jdagr.pmfby25@rajasthan.gov.in (Process of payment through e-Grass portal is described in Section-VIII of Tender Document).
Submission of Tender Fee & Processing Fee through Banker Cheque/ Demand Draft. Bid Security as per provision of Schedule -11	If bidder submit Tender Fee & Processing Fee physically, then Banker Cheques or Demand Drafts shall be in favor of - **1.** "Commissioner Agriculture, Department of Agriculture" payable at "Jaipur" of Rs. 20000/- from any Scheduled Commercial Bank. **2.** "Managing Director, RISL" payable at "Jaipur" of Rs. 2500/- from any Scheduled Commercial Bank. **3.** ***Bid Security 2% of estimated Bid value***
Time & Place of submission of Banker's Cheque/ Demand Draft for Tender Fee & Processing Fee (Last Date. Bid Security	*Date 25-06-2026 & Time:11:00AM*
	Place: Room No 109, First Floor, Pant Krishi Bhawan, JanPath, Jaipur (Rajasthan)
Online Bids Submission (Last Date)	*Date 24-06-2026 & Time:06:00PM*
Date, Time & Place of Technical Bid Opening	*Date 25-06-2026 & Time: 12:00PM*
	Place: Pant Krishi Bhawan, JanPath, Jaipur (Rajasthan)
Date, Time & Place of Financial Bid Opening	*Opening Date & Time of Financial Bid open will be informed to all bidders through e-proc portal only.*
Bid Validity	90 days from the date of opening of technical bid.

Note:

1) Bidder shall submit their offer on-line in electronic format for technical & financial proposal.
2) Tender Fees, RISL Processing Fees **& Bid Security** should be submitted online/offline. Online Confirmation receipt/Scan copy of BC/DD must be enclsoed with bid documents. **Bid Security shall be submitted as per schedule 11**
3) To participate in online bidding process, Bidders must procure a Digital Signature Certificate as per Information Technology Act - 2000 using which they can digitally sign their electronic bids. Bidders can procure the same from any CCA approved certifying agency, i.e eMudhraCA/ GNFC/ IDRBT/ MtnlTrustline/ SafeScrpt/ TCS etc. Bidders who already have a valid Digital Signature Certificate (DSC) need not procure a new DSC. Also, bidders must register their DSC on http://eproc.rajasthan.gov.in
4) Department of Agriculture will not be responsible for delay in online submission due to any reason. For this, bidders are requested to upload the complete bid well advance in time.

RajKaj Ref No.: 22641872
M e-Sign
Signature valid
Digitally signed by Naresh Kumar Goyal
Designation : Commissioner
Date: 2026.06.04 17:07:40 IST
Reason: Approved

5) Bidders are also advised to refer "Bidders Manual Kit" available at e-Procurement website for further details about the e-Tendering process. URL for "Bidders Mannual Kit is - https://eprocure.gov.in/eprocure/app?page=BiddersManualKit&service=page

6) Training for the bidders on the usage of e-Tendering System (e-Procurement) is also being arranged by DoIT&C on a regular basis. Bidders interested for training may contact e-Procurement Cell, DoIT&C for booking the training slot. Contact No: 0141-4022688 and 0120-4200462 (Help desk at 10 am to 6 pm on all working days) e-mail: eproc@rajasthan.gov.in Address: e-Procurement Cell, RISL, Yojana Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur

7) The procuring entity reserves the complete right to cancel the bid process and reject any or all of the bids.

8) No contractual obligation whatsoever shall arise from the bidding document/ bidding process unless and until a formal contract is signed and executed between the procuring entity and the successful bidder.

9) Procuring entity disclaims any factual/ or other errors in the bidding document (the onus is purely on the individual bidders to verify such information) and the information provided therein are intended only to help the bidders to prepare a logical bid-proposal.

10) All addendum/corrigendum or deletion/addition shall be integral part of the bid terms and conditions.

11) The provisions of RTPP Act 2012 and Rules 2013 thereto & latest existing operational guidelines 2023 and provisions of upcoming guidelines issued by GoI for Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna shall be applicable for this procurement. Furthermore, in case of any inconsistency in any of the provisions of this bidding document with the RTPP Act 2012 and Rules 2013 thereto, the later version of RTPP/Rules shall prevail.

(Naresh Kumar Goyal)
Commissioner Agriculture,
Rajasthan

RajKaj Ref No.: 22641872
M e-Sign

Signature valid
Digitally signed by Naresh Kumar Goyal
Designation : Commissioner
Date: 2026.06.04 17:07:40 IST
Reason: Approved

खण्डन
(Disclaimer)

1. इस निविदा प्रपत्र में निहित जानकारी जो कि बोलीदाता को प्रदान की गई है, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु जारी परिचालन मार्गदर्शिका 2023, राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति (SLCCCI) से प्राप्त अनुमोदन एवं आरटीपीपी एक्ट 2012 एवं नियम 2013 के आधार पर तैयार की गई है।
2. योजना के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले दिशा–निर्देश / प्रावधान निविदा का भाग होंगे।
3. निविदा प्रपत्र किसी भी प्रकार के समझौते का गठन नहीं करता है, यह केवल बोलीदाताओं से निविदा आमंत्रण का उद्देश्य मात्र है, जो बोलीदाता के लिए निविदा प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु की जाने वाली तैयारी की जानकारी प्रदान करता है।
4. निविदा प्रपत्र, निविदा आमंत्रित प्राधिकारी को बाध्य नहीं करता कि वह न्यूनतम बोलीदाता बीमा कम्पनी को फसल बीमाकर्ता के रूप में नियुक्त करें। निविदा आमंत्रण प्राधिकारी किसी भी बोलीदाता अथवा समस्त बोलीदाताओं की बोली को अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।
5. बोलीदाता बीमा कम्पनी निविदा को ऑनलाईन करने से सम्बन्धित समस्त लागतों को स्वयं वहन करेगी। निविदा आमंत्रण प्राधिकारी और उसके कर्मचारी अथवा सलाहकार इसके लिए किसी भी रूप से उत्तरदायी नहीं होंगे।
6. निविदा प्रपत्र में निहित प्रावधानों, शर्तों एवं नियमों में किसी भी प्रकार व्याख्या हेतु भारत सरकार द्वारा जारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की परिचालन मार्गदर्शिका, 2023 एवं जारी होने वाले दिशा–निर्देशों में वर्णित शर्तें एवं नियम अंतिम एवं बाध्यकारी होंगे।

Section - I Introduction

अनुभाग – I परिचय

1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 से प्रारम्भ की गई फ्लेगशिप फसल बीमा योजना है। यह योजना कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों एवं अनुदेशों के अनुसार देश के राज्यों द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निविदा अवधि में समय–समय पर निर्गमित अनुदेश अनुबंध अवधि के दौरान मान्य होंगे।

2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सूचकांक आधारित बीमा योजना है। योजना अन्तर्गत किसी मौसम सत्र विशेष में कृषकों द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने पर अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं से हुई वित्तीय हानि की गणना बीमा इकाई के लिए अधिसूचित विधी से प्राप्त फसल की औसत उपज को पूर्व निर्धारित औसत उपज सूचकांक मूल्य से तुलना कर की जायेगी।

3. समस्त कृषक जो योजना अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाते है, अपनी फसल का बीमा योजना के अन्तर्गत करवा सकते हैं। कृषकों द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा करवाया जाना पूर्णतया स्वैच्छिक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की परिचालन मार्गदर्शिका, 2023 के बिन्दु संख्या 13.1 के अनुसार कृषकों द्वारा फसल बीमा करवाने के लिए किसानों द्वारा देय निम्नानुसार प्रीमियम दर निर्धारित है–

मौसम सत्र	फसल का प्रकार	कृषक द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम राशि (बीमित राशि का प्रतिशत) *
खरीफ	सभी खाद्यान्न एवं तिलहन फसलें (अनाज, दलहन एवं तिलहन)	बीमित राशि का 2 प्रतिशत या बीमांकिक दर (Acturial Rate), जो भी कम हो
रबी	सभी खाद्यान्न एवं तिलहन फसलें (अनाज, दलहन एवं तिलहन)	बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत या बीमांकिक दर, जो भी कम हो
खरीफ एवं रबी	वार्षिक वाणिज्यिक /उद्यानिकी फसलें	बीमित राशि का 5 प्रतिशत या बीमांकिक दर, जो भी कम हो

* कृषक द्वारा देय प्रीमियम राशि की गणना रूपयों के पूर्णांक में की जाएगी।

4. खरीफ, रबी एवं वाणिज्यिक/बागवानी फसलों हेतु बीमित राशि का क्रमशः 2 प्रतिशत, 1.5 प्रतिशत एवं 5 प्रतिशत कृषक प्रीमियम राशि निविदा उपरान्त चयनित की गई बीमा कम्पनी को फसलों का बीमा कराने वाले कृषक द्वारा भुगतान की जाएगी तथा शेष राशि राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा नियत अनुपात में वहन की जाएगी। चयनित बीमा कम्पनी प्रभावित कृषकों को दावा क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए योजना की परिचालन मार्गदर्शिका, 2023 एवं समय –समय पर जारी होने वाले दिशा–निर्देशों में निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार जिम्मेदार होगी।

5. हितधारकों के उत्तरदायित्व – राज्य सरकार, बीमा कम्पनी एवं कृषकों के अतिरिक्त प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्य हितधारक जैसे बैंक, सीएससी, डाकघर, बीमा मध्यस्थ, राज्य प्रशासन, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी परिचालन मार्गदर्शिका, 2023 एवं समय –समय पर जारी होने वाले दिशा–निर्देशों के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

6. कृषकों का नामांकन :–

i. समस्त कृषक जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की परिचालन मार्गदर्शिका, 2023 के अन्तर्गत पात्र है और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित फसलों को उगा रहे हैं, योजनांतर्गत फसलों का बीमा करा सकेगें।

ii. वे समस्त ऋणी कृषक जिन्होनें किसी वित्तीय संस्थान (यथा सहकारी बैंक एवं सहकारी समिति, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, व्यावसायिक बैंक एवं भूमि विकास बैंक इत्यादि) से मौसम सत्र विशेष में अधिसूचित फसलों को उगाने हेतु फसल ऋण लिया है, योजना के अन्तर्गत शामिल माने जाएंगे। परिचालन मार्गदर्शिका, 2023 में वर्णित अवधि अनुसार कृषकों के नामाकंन से पृथक रहने की घोषणा की अंतिम दिनांक से पूर्व, ऋणी किसान द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से पृथक रखे जाने के लिए योजना प्रावधानों के अनुसार ओटीपी के माध्यम से बैंकों को घोषणा पत्र नहीं दिये जाने की स्थिति में ऐसे किसानों को सम्बन्धित वित्तीय संस्थान द्वारा पात्र मानते हुए नामांकन किया जायेगा।

iii. गैर ऋणी कृषकों को योजना में सम्मिलित होने के लिए आवश्यक दस्तावेज (यथा भू–स्वामित्व के साक्ष्य, लैंड पजेसन प्रमाण पत्र, बैंक खाता सम्बन्धी साक्ष्य, आधार कार्ड की प्रति एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये गए अन्य आवश्यक दस्तावेज) ऑनलाईन जमा करवाने आवश्यक होंगे, जिसकी विस्तृत सूचना जारी की जाने वाली अधिसूचना में दी जाएगी।

iv. गैर ऋणी कृषक निकट के बैंक, डाकघर, जन सेवा केन्द्र, क्षेत्र में अधिसूचित बीमा कम्पनी के अधिकृत एजेन्ट/मध्यस्थी या राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) के द्वारा फसल बीमा योजना में नामांकन करवा सकते हैं। गैर ऋणी किसान के पास एग्रीस्टेक आईडी होना अनिवार्य है।

v. ऋणी कृषक योजना की परिचालन मार्गदर्शिका, 2023 के प्रावधानों के अनुसार बीमित फसल का नाम नियत अंतिम दिनांक तक परिवर्तन करवा सकते हैं।

vi. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा जारी परिचालन मार्गदर्शिका, 2023 एवं समय–समय पर जारी दिशा निर्देशानुसार खरीफ एवं रबी मौसम के लिए कृषकों का नामांकन/बीमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित होगी।

7 निविदा अवधिः–

निविदा आमंत्रित प्राधिकारी एवं कलस्टरवार चयनित बीमा कम्पनी के मध्य अनुबंध की अवधि एक वर्ष (खरीफ 2026 से रबी 2026–27) अथवा उक्त 2 मौसम सत्र की अवधि के लिए बीमित फसल के फसल बीमा क्लेम निस्तारण की अवधि जो भी बाद में होगी तक प्रभावी रहेगी।

8 भारत सरकार द्वारा जारी परिचालन मार्गदर्शिका, 2023 एवं जारी होने वाले दिशा–निर्देशों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत Cup & Cap (60:130) मॉडल का क्रियान्वयन किया जायेगा। उक्त मॉडल को ध्यान में रखते हुये ही बीमादाता को प्रीमियम दरें प्रस्तुत करनी है।

To select the Insurance company, State is inviting rates for the Cup and Cap Model" of 60:130 as follows:

As per the point no. 5.7 of Operational guidelines 2023 issued by GoI letter F.No.11019/101/2022-Cr.II (Part-I)(FTS-111875), dated 06.11.2024, scheme will be implemented according to "Cup and Cap Model" of 60:130 Profit: Risk): Description of modalities of Cup and Cap Model" of 60:130 is given as below:

Parameters and specifications will be as below:

Parameters	Specifications
Risk Sharing	Insurance Company liability up to 130% of the burn cost or 130% the actuarial premium, whichever is higher State Govt. liability > 130% of the burn cost or the actuarial premium, whichever is higher
Surplus Sharing	Loss ratio between 0%-60% - Insurance Company retains 40% & State Govt. get remaining on the basis of actual premium received by insurance company (60% - Actual LR)

9 जोखिम कवरेजः–

9.1 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की परिचालन मार्गदर्शिका, 2023 के अनुसार कृषकों को गारन्टी उपज की तुलना में बीमा इकाई में प्राप्त औसत फसल उत्पादन के आधार पर फसल बीमा कवर दिया जाएगा। एडऑन कवर में – निष्फल बुवाई (खरीफ की प्रमुख फसलों हेतु) तथा फसल कटाई उपरान्त होने वाले नुकसान (खरीफ एवं रबी फसलों हेतु) सम्मिलित रहेगे।

9.2 खरीफ एवं रबी दोनों मौसम सत्रों के लिए निविदा अवधि हेतु समस्त अधिसूचित फसलों एवं जिलों के लिए जोखिम स्तर 80 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

10 बीमित राशि (Sum Insured Amount) की गणनाः– बीमित राशि गत 7 वर्षों (वर्ष 2018–19 से 2024–25) के जिला स्तर के उपज में से सर्वश्रेष्ठ 5 वर्षों के उपज के औसत (Notional

Average Yield) को न्यूनतम समर्थन मूल्य से गुणा कर एवं जिन फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित नहीं है, उनके लिए बाजार भाव (Model Price) से गुणा कर तय की गयी है।

11 आवश्यक सूचनाऐः–

i. योजना का नाम, अधिसूचित जिले, योजनान्तर्गत शामिल विभिन्न्त कवर, स्थिर गारन्टी उपज की सूचना परिशिष्ट–अ (Annexure-A) में दिया गया है।

ii. बीमा की इकाई, कलस्टरवार, जिलेवार व फसलवार प्रति हैक्टेयर बीमित राशि एवं जोखिम स्तर का विवरण परिशिष्ट–बी (Annexure-B) में दिया गया है।

iii. एल–1 गणना का प्रारूप परिशिष्ट–सी (Annexure-C) पर संलग्न है।

iv. बीमा इकाईवार गत 10 वर्षो के उपज संमक परिशिष्ट–डी (Annexure-D) पर संलग्न तथा एनसीआईपी पोर्टल पर उपलब्ध है। (वर्ष 2015 से 2024 तक)

v. गत तीन वर्ष के बीमा इकाईवार फसलवार बीमा व्यवसाय का विवरण परिशिष्ट–ई (Annexure-E) पर संलग्न है। (वर्ष 2022 से 2024 तक)

vi. जिलेवार सिंचित व असिंचित श्रेणी के जिलों की सूची परिशिष्ट–एफ (Annexure-F) पर संलग्न है।

vii. कलस्टरवार जिलों की सूची परिशिष्ट–जी (Annexure-G) पर संलग्न है।

viii. खरीफ 2025 का बीमा कवरेज परिशिष्ट–एच (Annexure-H) पर उपलब्ध है।

ix. रबी 2025–26 का बीमा कवरेज परिशिष्ट–आई (Annexure-I) पर उपलब्ध है।

x. राज्य सरकार को वर्तमान में प्रभावी परिचालन मार्गदर्शिका, 2023 के प्रावधान संख्या 7.2.1.7 एवं भारत सरकार से इस सम्बंध में जारी होने वाले दिशा–निर्देश एवं प्रावधान के अनुसार किसी भी फसल मौसम से पूर्व बीमा इकाई/फसल को जोडने या पृथक करने का अधिकार होगा।

10. मौसमी आंकडों का उपापन एवं तकनीकी समावेशः–

10.1 भारत सरकार द्वारा Weather Information Network and Data System (WINDS) 2023 एवं समय–समय पर जारी की जाने वाली गाईडलाईन के अनुसार राज्य में गिरदावर स्तर पर स्वचालित मौसम केन्द्रों तथा ग्राम पंचायत स्तर पर स्वचालित वर्षा मापी केन्द्रों की स्थापना कर मौसमी समंक भारत सरकार के WINDS पोर्टल एवं Raj Kisan पोर्टल पर उपलब्ध कराये जाऐंगें। जिनका उपयोग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत किया जायेगा। WINDS के अंतर्गत स्वचालित मौसम केन्द्र स्थापित होने तक भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार योजना का क्रियान्वयन किया जावेगा एवं भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के क्रम में स्वचालित मौसम केन्द्र/स्वचालित वर्षामापी केन्द्र अधिसूचित किये जायेगें।

10.2 पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिए मौसमी आकड़ों का क्रय अधिसूचित बीमा कम्पनी द्वारा किया जायेगा। मौसमी आंकड़े WINDS पोर्टल पर अपलोड करवाने और भारत सरकार से प्रमाणित करवाने की जिम्मदारी बीमा कम्पनी की होगी। मौसमी समंकों की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व बीमा कम्पनी का होगा।

10.3 राज्य में भारत सरकार की गाईडलाईन के अनुरूप Collection of Real-time Photos and Observations of Crops (CROPIC) के प्रावधान लागू होगे।

11 **गारंटी उपज की गणनाः–** गारण्टी उपज (Threshold Yield) की गणना के लिए बीमा इकाई की गत सात वर्षों (2018–19 से 2024–25) में से सर्वश्रेष्ठ पांच वर्षों का औसत लिया जाएगा तथा उसे अधिसूचित जोखिम स्तर से गुणा किया जाकर गणना की जाएगी। गारण्टी उपज (Threshold Yield) सम्पूर्ण अनुबन्ध अवधि के लिए एक समान रहेगी।

12 **आई.ई.सी. गतिविधियों का क्रियान्वयन :–**

12.1 आईइसी गतिविधियों के लिए बीमा कम्पनी को अपने स्तर से सकल फसल बीमा प्रीमियम का 0.5 प्रतिशत आवश्यक रूप से व्यय करना होगा। राज्य में आईईसी गतिविधियों अन्तर्गत सकल प्रीमियम का 0.25 प्रतिशत प्रीमियम राज्य सरकार के सूचित बैंक खाते / एस्क्रू खाते में जमा करवाया जायेगा।

12.2 बीमा कम्पनी द्वारा विगत मौसम सत्र के सकल फसल बीमा प्रीमियम का 0.125 प्रतिशत आईईसी गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए मौसम सत्र में नामांकन शुरू होने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा सूचित बैंक खाते / एस्क्रू खाते में जमा करवाई जायेगी। शेष 0.125 प्रतिशत राशि बीमा कम्पनी को मौसम सत्र के लिए देय राज्यांश प्रीमियम की प्रथम किस्त में समायोजित कर ली जायेगी।

12.3 आईईसी सलाहकार समिति द्वारा सोसियल मीडिया एवं अन्य माध्यमों पर प्रचार – प्रसार के लिए किसी संस्था/फर्म/स्टार्टअप के माध्यम से आईइसी गतिविधियों का क्रियान्वयन करवाया जा सकता है।

12.4 बीमा कम्पनी द्वारा आईसी का कियान्वयन करने की स्थिति में अधिसूचित बीमा कम्पनी राज्य की आईईसी सलाहकार समिति से अनुमोदित आईईसी गतिविधियां संचालित करेंगी तथा राज्य में अनुमोदित आईईसी गतिविधियों अन्तर्गत व्यय राशि का राज्य सरकार द्वारा सूचित बैंक खाते / एस्क्रू खाते में जमा करवाई गई राशि से पुर्नभरण प्राप्त कर सकेगी।

12.5 आईइसी गतिविधियों का क्रियान्वयन आईसी सलाहकार समिति के अनुमोदन के अनुसार किया जायेगा। क्रियान्वित गतिविधि के संदर्भ में किये गये व्यय का अनुमोदन आईसी सलाहकार समिति से किये जाने के बाद ही बीमा कम्पनी को पुनर्भरण किया जायेगा।

12.6 आई.ई.सी. गतिविधियों के क्रियान्वयन का प्राथमिक उत्तरदायित्व बीमा कम्पनी का होगा। राज्य में योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करने के लिए बीमा कम्पनियां प्रत्येक

मौसम सत्र के लिए फसल बीमा नामांकन की शुरूआत से 02 (दो) माह पूर्व /बीमा कम्पनी के चयन के बाद प्रचार–प्रसार की माइक्रोलेवल कार्य योजना प्रस्तुत करेंगी और आईईसी सलाहकार समिति से अनुमोदन प्राप्त करेगी। बीमा कम्पनी द्वारा जिले के संयुक्त निदेशक कृषि से समन्वय आवश्यक रूप से किया जायेगा और सम्पादित गतिविधियों का प्रमाणीकरण करवाया जायेगा।

12.7 बीमा कम्पनी द्वारा बीमा अनुबंध प्राप्त होते ही आवंटित कलस्टर में अनुमोदित प्रचार–प्रसार एवं जागरूकता कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिया जाएगा, जिसका विवरण राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर बीमा कम्पनी द्वारा अद्यतन किया जाएगा और विभाग को भी तत्समय अवगत करवाया जायेगा।

12.8 बीमा कम्पनियां राज्य सरकार को योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बैंकर्स, बीमा एजेंट, सीएससी, प्राथमिक कार्यकर्ताओं आदि के क्षमता निर्माण की योजना तैयार कर अनुमादन के लिए प्रस्तुत करेगी। बीमा कम्पनियां इसके लिये प्रशिक्षण, कार्यशालाऐ, फसल बीमा पाठशालाऐ आदि आयोजित करेंगी।

12.9 मौसम सत्र के अन्त में शेष रही राशि का उपयोग अगले मौसम सत्र में किया जा सकेगा। निविदा अवधि में बाद भी अवशेष रही राशि का उपयोग राज्य सरकार द्वारा योजना के प्रचार–प्रसार, लम्बित गतिविधियों को पूर्ण करवाने में किया जायेगा। बीमा कम्पनी को आईईसी मद में अवशेष रही राशि लौटाने की मांग करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

12.10 बीमा कम्पनी को योजना के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु जिला एवं तहसील स्तर पर आयोजित की जाने वाली सभी आईईसी गतिविधियो की सूचना कियान्वयन से पूर्व जिला कलक्टर, संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद एवं कृषि आयुक्तालय को अवगत करवाना होगा।

13 बीमा कम्पनी का कार्यालय – बीमा कम्पनी द्वारा राज्य स्तर पर कार्यालय स्थापित करते हुए बीमा कम्पनी के 02 (दो) वरिष्ठ पूर्णकालिक स्थायी अधिकारियों एवं आवश्यक सर्पोट स्टॉफ की नियुक्ति राज्य सरकार की कार्यादेश/ अनुबंध जारी किए जाने की तिथि के 7 दिवस के भीतर किया जाना आवश्यक होगा एवं उक्त स्टॉफ कृषि आयुक्तालय में बैठेगे।

14 बीमा कम्पनी द्वारा अपने राज्य स्तरीय कार्यालय पर फसल बीमा से सम्बन्धित समस्त सूचनाओं का पूर्ण डेटा अद्यतन रखा जाएगा तथा कृषि विभाग द्वारा समय–समय पर मांगे जाने पर तय समय सीमा में उपलब्ध कराना होगा। बीमा कम्पनी के राज्य स्तरीय प्रमुख द्वारा राज्य सरकार के समस्त सम्बन्धित विभागों एवं बैंक अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए योजना का प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जायेगा तथा फसल बीमा योजना के सम्बन्ध में विभिन्न स्तर पर आहूत की जाने वाली बैठकों में भाग लिया जायेगा।

15 कलस्टरवार न्यूनतम बोलीदाता बीमा कम्पनी को सम्बन्धित कलस्टर के जिला स्तरीय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद के कार्यालय में 01 दक्ष तकनीकी कार्मिक, जो कि राष्ट्रीय फसल बीमा योजना पोर्टल के क्रियान्यन की पूर्ण जानकारी रखता हो, की नियुक्ति करनी होगी, जो कि संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद के संरक्षण में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित कार्य का संपादन करेगा।

16 कलस्टरवार न्यूनतम बोलीदाता बीमा कम्पनी को सम्बन्धित कलस्टर के जिला एवं तहसील स्तर कार्यालय हेतु कार्मिकों की नियुक्ति करनी होगी। जिला स्तर पर नियुक्त कार्मिक संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद के कार्यालय में तथा तहसील स्तर पर नियुक्त कार्मिक सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) /सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर कार्य करेगें। उक्त कार्मिकों की सूचना कलस्टर आवंटन के सात दिवस के भीतर कृषि आयुक्तालय एवं सम्बंधित संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद को निर्धारित प्रारूप में प्रेषित करनी अनिवार्य होगी तथा यदि कोई परिवर्तन होता है तो तत्काल इसकी सूचना से कृषि विभाग को अवगत करवाना होगा। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कम्पनी की वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए पदस्थापित कार्मिक उक्त वर्णित कार्मिकों से पृथक होंगे।

17 प्रीमियम दरें एवं अनुदान प्रीमियमः–

17.1 बीमा कम्पनी को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत बीमांकिक दरों के अनुसार प्रीमियम का भुगतान किया जायेगा। बीमांकिक दर और कृषक प्रीमियम की अन्तर राशि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा नियत अनुपात में वहन की जावेगी **किन्तु केन्द्र सरकार द्वारा सिंचित व असिंचित जिलों के लिये क्रमशः 25 प्रतिशत व 30 प्रतिशत की सीमा तक ही प्रीमियम का भुगतान किया जावेगा।**

17.2 जिस जिले में शुद्ध बुवाई क्षेत्र का 50 प्रतिशत या उससे अधिक क्षेत्र सिंचित है, उसे सिंचित श्रेणी का जिला माना जाएगा अन्यथा स्थिति में जिला असिंचित श्रेणी अन्तर्गत होगा।

17.3 निविदा आमंत्रण प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक कलस्टर के लिए न्यूनतम बोलीदाता बीमा कम्पनी अथवा एल–1 बीमा कम्पनी का निर्धारण बीमा कम्पनियों द्वारा दी गयी फसलवार प्रीमियम दर तथा गत मौसम सत्र के बीमित क्षेत्रफल तथा बीमित राशि के आधार पर भारित औसत प्रीमियम दर के आधार पर किया जाएगा। यदि किसी फसल का बीमित क्षेत्रफल उपलब्ध नहीं है, तो प्रमुख फसलों हेतु जिले के विगत तीन मौसम सत्रों के औसत बुवाई क्षेत्र का 30 प्रतिशत बुवाई क्षेत्रफल एवं **गौण फसलों के लिए जिले के विगत तीन मौसम सत्रों के औसत बुवाई क्षेत्र का 10 प्रतिशत बुवाई क्षेत्रफल को आधार लिया जाएगा।**

"L1 will be determined on the basis of lowest weighted average premium rate considering last corresponding season's area insured as weights for all crops combined for that cluster."

17.4 निविदा के मूल्याकन के लिये द्वि–आवरण पद्धति (Single Stage two cover system) उपयोग में ली जायेगी। तकनीकी निविदा के लिफाफे का पहले मूल्यांकन किया जायेगा। यदि बोलीदाता इसमें सफल होते हैं, तो वित्तीय निविदा खोली जायेगी।

17.5 SICCCI बैठक 04.05.2026 के निर्णय के अनुसार असिंचित जिलों की प्रीमियम दरें 30 प्रतिशत तथा सिंचित जिलों की प्रीमियम दरें 25 प्रतिशत से अधिक दर स्वीकार नहीं होगी और बीमा कम्पनी के सम्पूर्ण दर प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

17.6 राज्य द्वारा सभी फसलों के लिये निविदा अवधि में गारण्टी उपज (Threshold Yield) समान रखी गई है, अतः बीमादाता द्वारा अनुबंध अवधि के दौरान प्रीमियम दर को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं होगा, अर्थात बोलीदाता द्वारा कलस्टरवार, जिलेवार फसल विशेष हेतु दी गई प्रीमियम दर वर्ष 2026–27 हेतु समान रहेगी।

17.7 राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की परिचालन मार्गदर्शिका, 2023 एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, के पत्रांक संख्या F.No. 11019/01/2022-Crop Ins. (FTS-111875) दिनांक 01 अप्रैल 2025 से जारी Escrow तंत्र की वर्तमान मार्गदर्शिका के अनुरूप Escrow Account का संचालन होगा, जिससे नियमानुसार देय राज्यांश प्रीमियम का भुगतान बीमा कम्पनियों को किया जावेगा। निविदा अवधि में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देश इसके संचालन पर लागु रहेगे।

18 औसत उपज में नुकसान का आंकलनः–

18.1 खडी फसल (बुवाई से कटाई) में सूखा, लम्बी सूखा अवधि, बाढ़, जलप्लावन, कीट एवं व्याधि, भू–स्खलन, बिजली गिरने से प्राकृतिक आग, तूफान, ओलावृष्टि और चक्रवात आदि के कारण उपज में नुकसान के लिये व्यापक जोखिम बीमा आवरण राज्य सरकार द्वारा सम्पादित फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त वास्तविक उपज आंकड़ों के आधार पर उपलब्ध होगा।

18.2 वास्तविक उपजः– मौसम के अन्त में बीमा इकाई क्षेत्र (पटवार सर्किल/तहसील) में अधिसूचित फसलों के निर्धारित संख्या में फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर फसलों की वास्तविक उपज का आंकलन किया जायेगा। फसल कटाई प्रयोगों में निर्धारित मानक प्रक्रिया के उल्लघंन की अवस्था में भारत सरकार द्वारा जारी प्रचालन मार्गदर्शिका में वर्णित प्रक्रिया अनुरूप कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी।

18.3 YES-TECH के आधार पर फसलों की उपज का आंकलनः– राज्य में भारत सरकार द्वारा जारी Yield Estimation System Through Technology (YES-TECH) गाईडलाईन 2023 के अनुरूप 5000 हैक्टर से अधिक बुवाई क्षेत्र के सभी जिलों में गेहूं व सोयाबीन फसलो में फसल कटाई प्रयोगो से प्राप्त उपज को 50 प्रतिशत तथा तकनीकी उपज को 50 प्रतिशत का भार देकर उपज आंकलन कर बीमा क्लेम का निर्धारण किया जावेगा। यदि अनुबन्ध अवधि में भारत

सरकार द्वारा राज्य में अधिसूचित अन्य फसलों के लिये तकनीकी मॉडल लागू किया जाता है तो उस फसल हेतु तकनीकी उपज को 30 प्रतिशत का भार देकर उपज आंकलन किया जावेगा। यदि किसी बीमित इकाई की तकनीकी उपज प्राप्त नहीं होती है तब सम्बन्धित बीमित इकाई के फसल कटाई प्रयोग से प्राप्त औसत उपज को 100 प्रतिशत भार देकर उपज आंकलन किया जावेगा। निविदा/अनुबंध अवधि में औसत उपज के आंकलन हेतु तकनीकी उपज के भार में परिर्वतन SLCCCI द्वारा किया जा सकेगा।

18.4 अधिसूचित क्षेत्र में फसल की वास्तविक उपज पूर्व में नियत गारण्टी उपज से कम होने पर अधिसूचित इकाई में फसल विशेष के उत्पादक सभी बीमित फसली कृषकों को समान रूप से उपज में कमी का सामना करता हुआ माना जायेगा एवं बीमित फसल के कृषकों को निम्न आधार पर क्षतिपूर्ति देय होगीः–

$$\text{क्षतिपूर्ति} = \frac{\text{उपज में कमी*}}{\text{गारन्टी उपज**}} \times \text{फसल की बीमित राशि}$$

* उपज में कमी = गारण्टी उपज–वास्तविक उपज

** गारण्टी उपज = अधिसूचित क्षेत्र में फसल विशेष की गत 7 वर्षों में से श्रेष्ठ 5 वर्षों की औसत उपज X जोखिम स्तर (80%)

17.5 प्रतिकूल मौसमीय परिस्थतियों के कारण अधिसूचित फसल की बुवाई न कर पाना/बाधित/निष्फल बुवाई की स्थिति (खरीफ की प्रमुख फसलों हेतु क्षेत्रीय दृष्टिकोण के आधार पर)

कम वर्षा या अन्य प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों के कारण यदि अधिसूचित बीमा ईकाई के अधिकांश (प्रमुख फसलों हेतु 75 प्रतिशत या अधिक क्षेत्र में) कृषक फसल की प्रारंभिक अवस्था में बाधित/निष्फल बुवाई की स्थिति का सामना करते हैं, ऐसी स्थिति में बीमा कम्पनी द्वारा बीमित राशि की 25 प्रतिशत की धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में बीमित फसल के कृषकों को दी जायेगी। बीमित फसल के कृषकों को देय क्षतिपूर्ति का आंकलन निम्नानुसार किया जायेगा–

$$\text{क्षतिपूर्ति} = \text{बीमित राशि} \times 25\%$$

17.6 व्यक्तिगत आधार पर फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाने हेतु रखी गयी कटी हुई अधिसूचित फसल को चक्रवात व चक्रवाती वर्षा/बेमौसमी वर्षा/ओलावृष्टि से क्षति की स्थिति में फसल की क्षति का आंकलन व्यक्तिगत बीमित फसल के कृषक के स्तर पर किया जायेगा। इस हेतु संबंधित कृषक द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की गाईडलाईन के अनुसार 72 घण्टे के भीतर विभिन्न माध्यमों अथवा राज किसान सुविधा ऐप के माध्यम से सूचित करना होगा। बीमा कम्पनी द्वारा उक्त का सर्वे निर्धारित समयावधि में योजना प्रावधानों एवं विभाग की द्वारा जारी मानक प्रक्रिया के अनुसार भारत सरकार द्वारा संचालित CLAP ऐप के माध्यम से ऑनलाईन सर्वे करना होगा।

17.7 Claim Settlement under Multiple Events के क्रम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दिशा निर्देश प्रभावी होगे।

17.8 बीमा दावों का दायित्व एवं उनका निष्पादनः– सभी प्रकार के बीमा दावों के भुगतान की प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा जारी योजना की परिचालन मार्गदर्शिका, 2023 के अनुसार होगी।

18 भारत सरकार द्वारा जारी योजना की परिचालन मार्गदर्शिका, 2023 के अनुसार खरीफ एवं रबी मौसम हेतु विभिन्न कार्यो की नियत समय–सीमा

क्र.सं	गतिविधि	समय सीमा	
		खरीफ	रबी
1	ऋणी कृषकों के ऋण स्वीकृति/नवीनीकरण की अन्तिम तिथि	31 जुलाई	31 दिसम्बर
2	गैर-ऋणी कृषकों से ऑनलाईन बीमा प्रस्ताव प्राप्त करने की अन्तिम तिथि	31जुलाई	31 दिसम्बर
3	वित्तीय संस्थान (i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, व्यावसायिक बैंक एवं भूमि विकास बैंक इत्यादि द्वारा फसल ऋण की सीमा अनुमोदित (स्वीकृत) की गई हो तथा ऋण वितरित किया गया हो एवं (ii) सहकारी बैंक, सहकारी समिति द्वारा फसल ऋण की सीमा अनुमोदित (स्वीकृत) की गई हो अथवा ऋण वितरित किया गया हो	31 जुलाई	31 दिसम्बर
4	बैंक/सहकारी समिति/सी एस सी/बीमा एजेंट/किसानों द्वारा ऑनलाईन नामांकन सहित किसानों के आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि हेतु सभी हितधारकों द्वारा (ऋणी व गैर ऋणी कृषकों) से प्रीमियम कटौती की अंतिम तिथि	31 जुलाई	31 दिसम्बर
5	ऋणी कृषकों द्वारा बीमित फसल में परिवर्तन की सूचना वित्तीय संस्थान को देने की अंतिम तिथि	29 जुलाई	29 दिसम्बर
6	सीएससी व बैंकों द्वारा गैर-ऋणी कृषकों की प्रीमियम राशि संबंधित बीमा कम्पनी को जमा कराने की अन्तिम तिथि	31 जुलाई	31 दिसम्बर
7	बैंको द्वारा ऋणी कृषकों का प्रीमियम राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर दिए गए इन्टरफेस Pay-Gov के माध्यम से करने की अंतिम तिथि	15 अगस्त	15 जनवरी
8	बैंको द्वारा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर ऋणी कृषको का चालान सृजन करने एवं डेटा अपलोड करने की अंतिम तिथि	15 अगस्त	15 जनवरी

19 ACF प्रावधान–परिचालन मार्गदर्शिका के प्रावधान बिंदु स0 25 के अनुरूप लागू होगा। बीमा कम्पनी द्वारा ACF लगाने के लिए नियत समयावधि में अपने दायित्व के अनुरूप कार्यवाही नहीं करने पर परिचालन मार्गदर्शिका, 2023 एवं भारत सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले दिशा–निर्देश के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही कर अनुदान प्रीमियम राशि की वसूली की जा सकेगी और राज्यांश प्रीमियम का भुगतान प्रक्रियाधीन होने पर आवश्यक राज्यांश प्रीमियम में कटौती की जायेगी।

20 निविदा की अनुमानित लागतः– एक वर्ष की निविदा का अनुमानित मूल्य रूपये 5000 करोड़ है।

21 बोलीदाता बीमा कम्पनियों को अनुमानित निविदा मूल्य का 2 प्रतिशत बोली सुरक्षा राशि जमा करवाई जायेगी। बोलीदाता बीमा कम्पनियों से आवंटित कलस्टर के अनुमानित सकल प्रिमियम की 5 प्रतिशत राशि कार्य निष्पादन प्रतिभूति शेड्यूल 11 के अनुसार जमा करवाई जाऐगी।

22 सेवा शुल्क का भुगतानः–

सभी बैंको, डाकघर, बीमा प्रतिनिधियों/एजेन्ट एवं सीएससी को योजना के प्रावधानों के अनुसार सेवा शुल्क का भुगतान सम्बन्धित अधिसूचित बीमा कम्पनी द्वारा किया जाएगा।

23 दंड प्रावधानः– अधिसूचित की गई बीमा कम्पनियों को मौसम सत्र के अनुसार परिचालन मार्गदर्शिका, 2023 एवं योजना क्रियान्वयन हेतु जारी किये जाने वाले दिशा–निर्देशों में वर्णित अनुशासन का पालन करना अनिवार्य है। **ऐसा नहीं किए जाने पर परिचालन मार्गदर्शिका, 2023 एवं योजना क्रियान्वयन हेतु जारी किये जाने वाले दिशा–निर्देशों के अतिरिक्त अधिसूचित बीमा कम्पनी पर निम्नानुसार दंड/शास्ति लगाई जाएगी –**

23.1 फसल कटाई प्रयोगों का बीमा कम्पनी द्वारा सह–पर्यवेक्षण अनिवार्य है। यदि बीमा कम्पनी द्वारा किसी फसल कटाई प्रयोग का सह–पयवेक्षण नहीं किया जाता है, उस स्थिति में विभाग द्वारा सम्पादित फसल कटाई प्रयोग सही माना जायेगा और बीमा कम्पनी को आपत्ति का अधिकार नहीं होगा।

23.2 फसल कटाई उपरान्त नियत घटनाओं के आधार पर प्राप्त पोस्ट हार्वेस्ट हानि के सभी इंटिमेशन सर्वे के योग्य माने जायेगे।

23.3 पोस्ट हार्वेस्ट हानि के इंटिमेशन उपरान्त क्षति के आंकलन हेतु बीमा कम्पनी द्वारा बीमा इकाईवार 48 घण्टें में नियत योग्यता एवं अनुभव धारक सर्वेयर की नियुक्ति कर सूचना जिले के संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) एवं कृषि आयुक्तालय को देनी अनिवार्य होगी। सर्वेयर की नियुक्ति में विलम्ब की स्थिति में प्रति बीमा ईकाई रू. 20,000/– प्रति घटना को शास्ति लगाई जायेगी।

23.4 सर्वेयर की नियुक्ति के बाद अधिकतम 10 दिवस में सभी सर्वे पूर्ण करना आवश्यक है। सर्वे समय पर नहीं किये जाने की स्थिति में, सर्वे नहीं किये गये प्रत्येक इंटिमेशन के लिए राशि रू.1000/– की शास्ति लगाई जायेगी।

24 शिकायत निवारणः– परिचालन मार्गदर्शिका, 2023 के बिन्दु संख्या 30 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार तहसील स्तरीय निराकरण समिति, जिला स्तरीय निराकरण समिति, राज्य स्तरीय निराकरण समिति तथा राष्ट्र स्तरीय केन्द्रीकृत शिकायत निराकरण प्रणाली के अनुरूप शिकायतों का निवारण किया जावेगा।

25 अनुबन्धित बीमा कम्पनियाँ फसल बीमा क्लेम की राशि प्रति मौसम प्रति किसान रूपये 1000/–से कम होने पर किसान के खाते में 1000 रूपये अथवा भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार नियत राशि जमा करायेगी।

26 सफल निविदाता बीमा कम्पनी को राज्य में अधिकतम 2 कलस्टरों में ही फसल बीमा व्यवसाय हेतु अधिकृत किया जायेगा।

27 प्रस्ताव अस्वीकार होने की स्थिति में किसान के प्रीमियम की वापसी – यदि बीमा कंपनियां अस्वीकृत किए गए फसल बीमा आवेदन के संबंध में, दावा निपटान (claim settlement) की प्रक्रिया शुरू होने की तारीख से पहले किसानों का प्रीमियम वापस नहीं करती हैं, तो बीमा कंपनियों को ऐसे सभी किसानों के बीमा दावों का निपटान करना होगा। अन्यथा बीमा कंपनी पर 21 दिन के बाद से भुगतान की दिनांक तक की अवधि की 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज राशि देय होगी।

28 बीमा कम्पनियों को पोस्ट हार्वेस्ट इंटिमेशन का सर्वे और बीमा क्लेम का भुगतान विभाग द्वारा जारी मानक प्रक्रिया एवं परिचालन मार्गदर्शिका के प्रावधानों के अनुसार किया जाना होगा। पोस्ट हार्वेस्ट हानि के ऑफलाईन सर्वे की रिपोर्ट तीन प्रतियों में तैयार की जानी आवश्यक होगी। प्रत्येक सर्वे की एक प्रति सम्बंधित किसान और एक प्रति जिले के संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जि.प. को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

29 बीमा कम्पनीयां न्यूनतम घोषित होने के बाद बीमा कार्य को किसी भी अन्य बीमा कम्पनी / संस्था को सबलेट / जे.वी./ को–ईन्श्योरेन्स के रूप में क्रियान्वयन की अनुमति नहीं दी जायेगी।

30 अन्य प्रावधान भारत सरकार द्वारा जारी योजना की परिचालन मार्गदर्शिका, 2023 एवं समय–समय पर जारी भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप होंगें।

Section - II Description of Bidding Process

अनुभाग – II निविदा प्रक्रिया का विवरण

1. प्रत्येक बोलीदाता को एकल निविदा प्रस्तुत करनी होगी, जिसके दो भाग होंगे।
   (1) तकनीकी निविदा – निविदा आवेदन एवं आवश्यक दस्तावेज
   (2) वित्तीय निविदा
2. निविदा का मूल्यांकन दो चरणों में किया जाएगा –
   प्रथम चरण में बोलीदाताओं की तकनीकी निविदा का मूल्यांकन किया जाएगा। जिसमें उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए निविदा आवेदन एवं निविदा हेतु चाहे गए आवश्यक दस्तावेजों की जांच की जाएगी। केवल वे बोलीदाता जिन्होनें निर्धारित प्रारूप में चाहे गए दस्तावेज संलग्न किए हैं, दूसरे चरण के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे।
3. बोलीदाता बिना शर्त इस निविदा प्रपत्र के समस्त नियम, शर्तों तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की गाईडलाईन का पालन करेगें।
4. निविदा आमंत्रण प्राधिकारी निविदा प्रपत्र के अनुसार निविदा प्राप्त करेगा, जो कि इस निविदा प्रपत्र के अनुसार तैयार एवं प्रस्तुत की गई हो।
5. आमंत्रित किए गए बोलीदाताओं में से केवल वे जो निविदा प्रपत्र के अनुसार निविदा में शामिल होने की अर्हता रखते हैं, वे ही बोलीदाता निविदा प्रक्रिया में भाग लेंगे। यदि कोई बोलीदाता निविदा में स्वयं की ओर से कोई शर्त या छूट को सम्मिलित करता है, तो उसे निविदा में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। अतः समस्त बोलीदाताओं से अनुरोध किया जाता है कि वे निविदा प्रपत्र को ध्यानपूर्वक पढ़े एवं सभी नियमों व शर्तों से सहमत होने पर निर्धारित प्रारूप में ही निविदा प्रस्तुत करें।

   महत्वपूर्ण सूचना – इस हेतु सभी निविदाताओं से अनुरोध किया जाता है कि वे निविदा आमंत्रण प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए निविदा प्रपत्र की पूर्ण अध्ययन करें एवं उससे पूर्णतया परिचित हों। निविदा प्रपत्र की किसी शर्त या नियम की अवहेलना या समीक्षा करने में विफलता (जिसमें निविदा प्रस्तुत करने का प्रारूप भी सम्मिलित है) जैसे किसी भी कारण को, प्रीमियम दर प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के बाद स्वीकार नहीं किया जाएगा।
6. निविदा आमंत्रण प्राधिकारी बोलीदाताओं की सुविधा के लिए अतिरिक्त जानकारी उपलब्धता के आधार पर प्रदान कर सकेगा, जिसमें बीमा दावों के समंक एवं गत वर्षों का बीमा कवरेज सम्मिलित है।
7. यह माना जाएगा कि बोलीदाताओं ने उन समस्त जोखिम कारकों का विस्तृत एवं स्वतंत्र विश्लेषण किया है, जो उसके द्वारा प्रदान की गई प्रीमियम दरों को प्रभावित करेंगे या प्रभावित कर सकते हैं।

   ऐसे जोखिम कारक जिन पर बोलीदाता विचार कर सकते हैं, निम्न हैं –

बीमा कवरेज का दायरा, राज्य में कृषकों की संख्या, स्थानीय एवं भौगोलिक स्थिति, गत वर्षों में नामांकित कृषक एवं बीमा दावों की स्थिति, दर्ज किए गए स्थानिक दावों की संख्या, आपदाओं की रूपरेखा, अनुमानित फसल उपज की जानकारी, सेवा प्रदाताओं की उपलब्धता, पिछले दावों का अनुभव, औसत हानि की लागत, प्रस्तावित अतिरिक्त कवरेज, मौसम के पैरामीटर एवं बीमा अनुबंध के तहत बीमाकर्ता के अधिकार एवं दायित्व आदि।

8. ऐसा माना जाएगा कि बोलीदाताओं को बीमा अनुबंध के आवरण, नियमों एवं शर्तों के बारे में पूरी जानकारी है, चाहे उन्होनें कोई जांच या अध्ययन किया हो अथवा नहीं।

9. निविदा उपरांत सफल बोलीदाता को निविदा ऑनलाईन जमा करवाने की अंतिम तिथि या बीमा अनुबंध के पश्चात निविदा प्रपत्र में उपलब्ध करवाई गई जानकारी के आधार पर अथवा उसके द्वारा सूचनाओं की स्वतंत्र जांच या अध्ययन में असफल रहने पर अथवा बोलीदाता द्वारा स्वयं बनाई गई किसी भी प्रकार की धारणा के खंडित होने पर प्रीमियम दर में परिवर्तन करने की आज्ञा नहीं होगी, यदि स्पष्ट रूप से इस निविदा प्रपत्र या बीमा अनुबंध में अनुमति नहीं दी गई है।

10. बोलीदाताओं द्वारा निविदा शर्तों के अनुसार राज्य के सभी कलस्टर एवं प्रत्येक कलस्टर के सभी जिले और जिले की सभी फसलों की फसलवार वास्तविक प्रीमियम दर (Acturial Premium Rate) के प्रस्ताव दिया जाना अनिवार्य है।

11. बोलीदाताओं द्वारा प्रीमियम दर प्रस्ताव में दर दो दशमलव बिन्दु (0.00) तक दी जायेगी। दो दशमल बिन्दु के बाद के अंक, यदि अंकित किये है तो उन्हे गणना में शामिल नहीं किये जायेगा। यदि बोलीदाता द्वारा एक दशमल तक ही प्रीमियम दर दी जाती है, ऐसे प्रकरणों में अन्तिम अंक शून्य (0) माना जायेगा।

12. बोलीदाताओं द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु बीमा प्रीमियम की दरें प्रस्तुत करते समय बीमा सेवाओं के प्रावधान, सभी जोखिमों, लागतों, सभी देयताओं, करों, शुल्क एवं व्ययों का प्रावधान रखा जाना चाहिए।

Section - III Instructions to Bidders

अनुभाग – III बोलीदाताओं को निर्देश

1. निविदा प्रपत्र तालिका के अनुसार सूचीबद्ध किया गया है।

2. बोलीदाता को इस बात से सहमत होना होगा कि निविदा आमंत्रण प्राधिकारी निविदा प्रपत्र की पूर्णता के लिए उत्तरदायी नहीं है, यदि बोलीदाता निविदा प्रपत्र को निविदा सूचना से पूर्णतया प्राप्त नहीं करता है।

3. निविदा प्रपत्र का समग्र रूप से अध्ययन किया जाना आवश्यक है। यदि किसी बोलीदाता को निविदा प्रपत्र में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता मिलती है, तो निविदा आमंत्रण प्राधिकारी को जल्द से जल्द सूचित किया जाना आवश्यक है। इसके उपरान्त निविदा आमंत्रण प्राधिकारी बोलीदाताओं को इसके बारे में आवश्यक निर्देश प्रदान करेगा। यदि निविदा प्रपत्र की शर्तों में कोई विसंगति, अस्पष्टता या विरोधाभास उत्पन्न होता है, उसके सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी योजना की परिचालन मार्गदर्शिका, 2023 के प्रावधान एवं आरटीपीपी एक्ट 2012 व नियम 2013 के नियम मान्य होंगे तथा बीमा कवर के नियम, शर्तें एवं योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में बीमा अनुबंध के प्रावधान मान्य होंगे।

4. बोलीदाताओं से निविदा प्रपत्र में सभी निर्देशों, शर्तों और विशिष्टताओं की समीक्षा किये जाने की अपेक्षा है। निविदा प्रपत्र या किसी निविदा को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी प्रस्तुत करने में विफलता बोलीदाता के जोखिम पर निहित होगी।

5. धोखाधड़ी या भ्रष्ट आचरण

5.1 बोलीदाता एवं उसके अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट और सलाहकार निविदा प्रक्रिया के दौरान उच्चतम मानकों एवं नैतिकता का पालन करेंगे। यदि निविदा आमंत्रण प्राधिकारी के संज्ञान में आता है, कि बोलीदाता की ओर से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्ट, कपटपूर्ण, अवांछनीय या प्रतिबन्धात्मक अभ्यास किया जा रहा है, तो निविदा आमंत्रण प्राधिकारी निविदा को अस्वीकार कर सकता है।

5.2 निविदा आमंत्रण प्राधिकारी बिना पक्षपात के यदि यह पाता है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी बोलीदाता या उसके अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट अथवा सलाहकार के द्वारा निविदा प्रस्तुत करते समय भ्रष्ट, कपटपूर्ण, अवांछनीय या प्रतिबन्धात्मक अभ्यास किया जा रहा है, तो उस बोलीदाता को राज्य के तथा अन्य किसी भी मंत्रालय, विभाग, सरकार के स्वामित्व वाले उपक्रमों में पांच वर्षों के लिए निविदा प्रस्तुत करने हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

6. अनुभाग 3 के बिन्दु संख्या 5 को स्पष्ट किया जाता है –

6.1 भ्रष्ट एवं अवांछनीय अभ्यास का अर्थ है

6.1.1 निविदा प्रक्रिया से जुडे किसी भी व्यक्ति के कार्यों को प्रभावित करने के लिए सीधे मूल्य की

पेशकश करना, देना या प्राप्त करना। स्पष्ट किया जाता है कि निविदा प्रक्रिया से जुड़े व्यक्तियों का आशय राज्य सरकार के अधीन अथवा निविदा आमंत्रण प्राधिकारी द्वारा नियुक्त वे समस्त व्यक्ति हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का निविदा कार्य अथवा योजना का क्रियान्वयन निष्पादित कर रहे हैं।

6.1.2 वे समस्त व्यक्ति जो निविदा प्रक्रिया या उसके बाद जारी बीमा अनुबंध के निष्पादन का कार्य कर रहे हों, जिसमें निविदा आमंत्रण प्राधिकारी के कानूनी, वित्तीय या तकनीकी सलाहकार भी सम्मिलित होंगे।

6.1.3 कपटपूर्ण व्यवहार से आशय दायित्वों से बचने के लिए किसी चूक, गलत बयानी, जानबूझकर की गई लापरवाही या गुमराह किए जाने के प्रयास से है।

Section - IV Eligibility of Bidders

अनुभाग– IV बोलीदाताओं की योग्यता

केवल वे बीमा कम्पनियां निविदा प्रक्रिया में भाग लेंगी, जो कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से पंजीकृत, लाईसेन्स धारक हैं तथा भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु पैनलबद्ध है।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा निविदा की अन्तिम दिनांक से पूर्व तक किसी अन्य बीमा कम्पनी को अधिकृत किया जाता है तो वह निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकेगी।

ऐसी बीमा कम्पनी जिन्हें देश में किसी भी राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश के किसी भी विभाग, राजकीय संस्था द्वारा फसल बीमा व्यवसाय / बीमा व्यवसाय के लिए वर्तमान में विवर्जन (Debar) / Blacklisted किया गया है, वे निविदा में भाग नहीं ले सकेगी।

Section - V Preparation and Submission of Bids

अनुभाग– V निविदा की तैयारी एवं प्रस्तुतीकरण

1. **निविदा प्रस्तुतीकरण की लागत**

निविदा की तैयारी में समंकों के संग्रहण, सत्यापन, स्वतंत्र अध्ययन इत्यादि में जो भी लागत आयेगी, बोलीदाता को वहन करनी होगी।

2. **निविदा की वैधता :–**

राजस्थान में लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 (RTPP) प्रावधानों के अनुसार निविदा की वैधता तकनीकी निविदा खुलने की तिथि से 90 दिन तक रहेगी। विशेष परिस्थिति में निविदा आमंत्रण प्राधिकारी निविदा की वैधता अवधि को संबधित बीमा कम्पनी से सहमति उपरान्त आर टी पी पी नियम 2013 के नियम 48 के तहत बढ़ा सकता है, जिसके लिए लिखित में आदेश जारी किया जाएगा। इस बढ़ी हुई अवधि में बोलीदाता को प्रस्तुत की जा चुकी निविदा में संशोधन करने का अधिकार नहीं होगा।

3. **निविदा की संख्या :–**

प्रत्येक बोलीदाता द्वारा केवल एक ही निविदा आवेदन दिया जा सकता है। यदि एक बोलीदाता द्वारा एक से अधिक निविदा दी जाती है, तो ऐसा करने पर उस बोलीदाता की सभी निविदाओं को निरस्त कर दिया जावेगा।

4. **निविदा प्रस्तुतीकरण :–**

बोलीदाता द्वारा निम्न दस्तावेज निविदा आवेदन के साथ ऑनलाईन दिए जाऐगें–

4.1 **तकनीकी निविदा**

4.1.1 भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) द्वारा जारी प्रमाण पत्र के रजिस्ट्रेशन/नवीनीकरण की प्रति

4.1.2 निविदा आवेदन निर्धारित प्रारूप में ही दिया जाएगा तथा बोलीदाता को इस आशय का शपथ पत्र सादे कागज पर तैयार करवाकर (ई–ग्रास पोर्टल पर 500 रूपये की स्टाम्प फीस चुकाने उपरान्त चालान की प्रति के साथ) अथवा इस उद्देश्य हेतु क्रय किये गए 500 रूपये के स्टाम्प पेपर पर देना होगा कि –

- उसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु केन्द्र सरकार द्वारा जारी एवं लागू मार्गदर्शिका की समस्त शर्तें तथा समय–समय पर उनमें किए गए परिवर्तन मान्य होंगे।
- कि उस बीमा कम्पनी को किसी भी राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश में फसल बीमा या बीमा व्यवसाय के कार्य करने के लिए डिफाल्टर/अयोग्य/निष्कासित/ कालीसूचीबद्व/ विवर्जित नहीं किया गया है।
- कि उसके द्वारा निविदा पत्र पूर्ण रूप से प्राप्त कर अध्ययन कर लिया गया है तथा उसे

निविदा प्रपत्र में दर्शाई गई समस्त नियम व शर्तें मान्य हैं।

- कि उसके द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की निविदा में भाग लेने के लिए कृषि विभाग, राजस्थान को उपलब्ध करवाई गई समस्त जानकारी सत्य एवं सही है।

4.2 वित्तीय निविदा

4.2.1 बोलीदाता को प्रीमियम दरें BOQ में दर्शाए गए प्रारूप राजस्थान के ई–प्रोक्यूरमेंट पोर्टल (http://eproc.rajasthan.gov.in) पर ऑनलाईन जमा करवानी होगी। ऑनलाईन निविदा, निविदा पत्र में दर्शाए गए समय से पूर्व ही प्रस्तुत करनी होगी। बोलीदाता को वित्तीय निविदा में BOQ के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नहीं करना है।

4.2.2 बोलीदाता को बीमांकिक प्रीमियम दरें कलस्टरवार, जिलेवार, फसलवार प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें सभी प्रकार की लागतें जैसे की योजना के क्रियान्वयन व्यय, Information Education Communication (IEC) तथा Behaviour Change Communication (BCC) पर होने वाले व्यय, श्रमशक्ति पर होने वाले व्यय इत्यादि सम्मिलित किए जाएं।

4.2.3 बोलीदाताओं द्वारा प्रीमियम दर प्रस्ताव में दर दो दशमलव बिन्दु (0.00) तक दी जायेगी। दो दशमल बिन्दु के बाद के अंक, यदि अंकित किये है तो उन्हे गणना में शामिल नहीं किये जायेगा। यदि बोलीदाता द्वारा एक दशमल तक ही प्रीमियम दर दी जाती है, ऐसे प्रकरणों में अन्तिम अंक शून्य (0) माना जायेगा।

4.3 प्रत्येक बोलीदाता को सभी 08 कलस्टर के लिए रबी एवं खरीफ की समस्त फसलों की बीमा प्रीमियम की दरें BOQ में प्रस्तुत करनी होगी। इसकी पालना के अभाव में निविदा अस्वीकृत कर दी जावेगी।

4.4 बोलीदाता द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय निविदा जिसमें सभी प्रकार के दस्तावेज/प्रमाण पत्र एवं सहायक दस्तावेज शामिल हो, राजस्थान के ई–प्रोक्यूरमेंट पोर्टल (http://eproc.rajasthan.gov.in) पर ऑनलाईन अपलोड करना आवश्यक होगा।

4.5 बोलीदाता बीमा कम्पनी के पास ऑनलाईन निविदा प्रस्तुत करने के लिए राज्य के ई–प्रोक्यूरमेंट पोर्टल (http://eproc.rajasthan.gov.in) पर रजिस्टर्ड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) Signing and Encryption Facility का होना आवश्यक है। बोलीदाता डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए भारत में किसी भी प्रमाणित प्राधिकरण से सम्पर्क कर सकते हैं, जिसका विवरण निविदा शिड्यूल (Bid Schedule) के नोट संख्या 3 में दर्शाया गया है।

4.6 निविदा ऑनलाईन http://eproc.rajasthan.gov.in पोर्टल पर ही दी जानी है, निविदा किसी व्यक्ति, डाक, फेक्स, ईमेल से भेजने पर स्वीकार नहीं की जावेगी। निविदा प्रस्तुत करने में होने वाली देरी के लिए निविदा आमंत्रण प्राधिकारी किसी भी प्रकार से जिम्मेदार

नहीं होंगे।

4.7 निविदा आमंत्रण प्राधिकारी निविदा की अंतिम तिथि एवं अन्य तिथियों में शुद्धिपत्र जारी कर बढ़ाए जाने का अधिकार रखता है।

5 **निविदा पर हस्ताक्षरः–**

प्रत्येक निविदा पर बोलीदाता बीमा कम्पनी के अधिकृत व्यक्ति (Authorized Signatory) के हस्ताक्षर/डिजिटल हस्ताक्षर होना आवश्यक है।

6 बोलीदाता प्रस्तुत की गई निविदा को अंतिम समय से पूर्व बदलने या निरस्त करवाने का अधिकार रखता है, यद्यपि ऐसा करने से पूर्व उसे लिखित में ऐसा करने के आशय का पत्र निविदा आमंत्रण प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। ऐसा परिवर्तन या निरस्तीकरण निविदा जमा कराने हेतु निर्धारित की गई अंतिम तिथि एवं समय से पूर्व किया जाना आवश्यक होगा।

7 निविदा में विभिन्न कवर के अनुसार अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण–

निविदा दो भागों यथा तकनीकी एवं वित्तीय निविदा में विभाजित होगी।

7.1 तकनीकी निविदा के दो भाग होंगे –

7.1.1 प्रथम भाग में बोलीदाता बीमा कम्पनियां, निविदा फीस तथा प्रोसेसिंग फीस का चालान/डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक एवं स्टाम्प फीस (यदि स्टाम्प फीस ई–ग्रास से जमा हो तो) के चालान की प्रति अपलोड करेंगे।

7.1.2 द्वितीय भाग में बोलीदाता बीमा कम्पनियां प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरशुदा समस्त दस्तावेज (निविदा प्रपत्र सहित) अपलोड करेगी।

7.2 **वित्तीय निविदा** – वित्तीय निविदा में BOQ अपलोड करनी होगी, जिसमें समस्त कलस्टरों की जिलेवार, फसलवार प्रीमियम दरें अंकित करनी होगी ।

Section - VI Bid Opening and Evaluation

अनुभाग– VI निविदा का खोला जाना एवं मूल्यांकन

1. **निविदा खोलना –**

1.1 निविदा आमंत्रण प्राधिकारी निविदा प्रपत्र में निर्धारित दिनांक एवं समय पर निविदा को खोलेगा।

1.2 निविदा खोलते समय बोलीदाता के केवल अधिकृत प्रतिनिधि ही उपस्थित हो सकेंगे।

1.3 निविदा खोले जाने के उपरान्त, वे समस्त बोलीदाता जिनकी निविदा राज्य के ई–प्रोक्यूरमेंट पोर्टल पर सफलतापूर्वक प्राप्त हुई है, निविदा आमंत्रण प्राधिकारी की ओर से जरिए ई–प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल पर इस आशय की सूचना प्राप्त करेंगे।

1.4 समस्त बोलीदाताओं से प्राप्त तकनीकी निविदाओं को खोले जाने के पश्चात उनका मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन के आधार पर यह निर्धारण किया जाएगा कि किन बोलीदाताओं की वित्तीय निविदा खोली जानी है।

1.5 तकनीकी निविदा खोले जाने के उपरान्त निर्धारित की गई तिथि एवं समय पर वित्तीय निविदा खोली जाएगी, तकनीकी निविदा में अर्हता प्राप्त बोलीदाताओं को ही वित्तीय निविदा खोलते समय उपस्थित होने का अधिकार होगा।

1.6 वित्तीय निविदाओं का मूल्यांकन करने हेतु निविदा आमंत्रण प्राधिकारी पूर्ण रूप से स्वतन्त्र होंगे एवं उनके द्वारा लिया गया निर्णय समस्त बोलीदाताओं को मान्य होगा।

1.7 बोलीदाता द्वारा प्रेषित निविदा में वांछित सूचना के अतिरिक्त कोई अन्य शर्त निविदा आमंत्रण प्राधिकारी के लिए बाध्यकारी नहीं होगी। निविदा के मूल्यांकन के उपरान्त बीमा अनुबंध में उल्लेखित शर्तें सफल बोलीदाता के लिये बाध्यकारी होगी।

2. निविदाओं का मूल्यांकन एवं बोलीदाताओं की अर्हता –

2.1 सर्वप्रथम आवेदन पत्रों का तकनीकी मूल्यांकन किया जाएगा, यदि किसी आवेदन में निम्न में से कोई त्रुटि है, तो उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

2.1.1 आवेदन पत्र की अपूर्णता।

2.1.2 आवेदन पत्र पर अधिकृत बोलीदाता (Authorized Signatory) के हस्ताक्षर ना होना।

2.1.3 आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप में ना होना।

2.1.4 प्रस्तुत दस्तावेजों में नियत शर्तों से किसी भी प्रकार की भिन्नता।

2.2 निविदा आमंत्रण प्राधिकारी किसी निविदा के अपूर्ण होने पर उसे अस्वीकार करने का या बोलीदाता से स्पष्टीकरण मांग सकता है, जैसा भी उसे उचित लगे।

2.3 निविदा आमंत्रण प्राधिकारी बोलीदाता के निविदा हेतु योग्य होने के प्रमाण–पत्रों की जांच व समीक्षा करेगा।

2.4 तकनीकी मूल्यांकन के उपरान्त निविदा आमंत्रण प्राधिकारी अर्हता प्राप्त बोलीदाताओं को

ई–प्रोक्रमेन्ट पोर्टल पर वित्तीय निविदा खोले जाने की सूचना अपलोड की जायेगी।

2.5 वित्तीय निविदा निर्धारित प्रारूप में पूर्ण रूप से भरी हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं होने पर निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

2.6 वित्तीय निविदा खोले जाने के उपरान्त निविदा आमंत्रण प्राधिकारी द्वारा कलस्टरवार, जिलेवार, फसलवार प्रस्तुत की गई निविदा दरों का तालीका के अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा।

2.7 एक कलस्टर की रबी एंव खरीफ की समस्त फसलों हेतु एक ही बीमा कम्पनी एक वर्ष के लिए अनुमोदित की जावेगी, जिसे आपसी सहमति से आरटीपीपी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार अवधि विस्तार किया जा सकेगा।

2.8 निविदा आमंत्रण प्राधिकारी द्वारा आगामी एक वर्ष (2 मौसम सत्रों हेतु संयुक्त रूप से) हेतु प्रत्येक कलस्टर के लिए न्यूनतम बोलीदाता बीमा कम्पनी अथवा एल–1 बीमा कम्पनी का निर्धारण बीमा कम्पनियों द्वारा दी गयी फसलवार प्रीमियम दर तथा BOQ में दर्शाए गए गत वर्ष के बीमित क्षेत्रफल तथा बीमित राशि के आधार पर भारित औसत प्रीमियम दर की गणना करके किया जाएगा।

यदि किसी प्रमुख फसल का बीमित क्षेत्रफल उपलब्ध नहीं है, तो उस फसल के जिले के गत तीन वर्षों के 30 प्रतिशत बुवाई क्षेत्रफल को आधार लिया जाएगा और गौण फसल के लिए जिले के गत तीन वर्षों के 10 प्रतिशत बुवाई क्षेत्रफल को आधार लिया जाएगा कलस्टरवार एल–1 बोलीदाता की गणना का प्रारूप परिशिष्ट–सी (Annexure-C) पर उपलब्ध है।

2.9 निविदा आमंत्रण प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक कलस्टर के लिए भारित औसत प्रीमियम दर के अनुसार बोलीदाताओं को एल 1, एल 2, एल 3 के अनुसार श्रेणी प्रदान की जाएगी। न्यूनतम भारित औसत प्रीमियम दर वाले बोलीदाता को सफल बोलीदाता (एल1) माना जाएगा।

2.10 निविदा में सम्मिलित होने वाली प्रत्येक बीमा कंपनी को, न्यूनतम भारित औसत प्रीमियम दर (L-1) पर फसलों को बीमा कंवर प्रदान करने हेतु अधिकतम 02 कलस्टर आवंटित किये जायेंगे। सभी कलस्टरो (Cluster) की वित्तीय निविदा को खोले जाने पर बीमा कंपनी विशेष को निर्धारित किये जाने वाले कलस्टर की संख्या की अधिकतम सीमा 02 कलस्टर प्राप्त हो जाने की स्थिति मे बीमा कंपनी विशेष या अन्य कलस्टर में भी न्यूनतम भारित औसत प्रीमियम दर L-1 की स्थिति अगर होती है, तो ऐसी स्थिति मे बीमा कंपनी विशेष को सर्वाधिक न्यूनतम भारित औसत प्रीमियम दर (L-1) वाले 02 कलस्टर आवंटित किये जायेंगे एवं शेष कलस्टर, जिसमे बीमा कंपनी विशेष द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम भारित औसत प्रीमियम दर L-1 की स्थिति है एवं बीमा कंपनी विशेष को अधिकतम 02 कलस्टर के आधार पर अगले क्रम में कलस्टर का आवंटन नही किया जाना है, में L-2 बीमा कंपनी को, उसकी सहमति के आधार पर कलस्टर में सम्मिलित जिलों/फसलों हेतु L-1 के प्रीमियम दरों पर L-1 को निर्धारित किये जाने की

संस्तुति की जायेगी। L-2 बीमा कंपनी की सहमति न होने की स्थिति में L-3 बीमा कंपनी की सहमति L-1 के प्रीमियम दरो पर प्राप्त कर कार्यवाही की जावेगी। L-3 से सहमति न मिलने पर इसी कम में L-4---- L-n---- को उनकी सहमति के आधार पर उस कलस्टर मे सम्मिलित जिलों/फसलों हेतु L-1 के प्रीमियम दरों पर L-1 निर्धारण किये जाने की संस्तुति की जायेगी। **L-2 ..... L-n..... मे से किसी भी बीमा कंपनी की कलस्टर विशेष में सम्मिलित जिलों/फसलों हेतु L-1 के प्रीमियम दरों पर सहमति नही होने की स्थिति में बीमा कंपनी विशेष, जिसके द्वारा कलस्टर में न्यूनतम भारित औसत प्रीमियम दर (L-1) का प्रस्ताव किया गया है, को निविदा समिति द्वारा शासन की सहमति से कलस्टर की अधिकतम संख्या 02 कलस्टर से अधिक कलस्टर/कलस्टरो को L-1 नियत किये जाने का निर्णय लिया जा सकेगा।** कलस्टर का आवंटन प्रथम चरण में बीमा कंपनियो को अधिकतम 2 कलस्टर के आवंटन के आधार पर किया जायेगा। इसके पश्चात वह कलस्टर जिनका आवंटन उनके सापेक्ष L-1 बीमा कंपनी के अधिकतम 2 कलस्टर आवंटन की प्रक्रिया कारण अवशेष रह गये है, का आवंटन उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। यह आवंटन न्यूनतम भारित प्रीमियम दर वाले कलस्टर से प्रारंभ करते हुये बढते क्रम में किया जायेगा।

2.11 कलस्टरो के स्तर पर न्यूनतम भारित औसत प्रीमियम दर (L-1) के आधार पर चयनित बीमा कंपनी द्वारा क्रियान्वयन एजेन्सी के रूप मे कार्य करने पर असमर्थता व्यक्त किये जाने की स्थिति में संबंधित बीमा कंपनी को प्रदेश मे योजनांतर्गत आगामी निविदा प्रक्रिया मे प्रतिभाग करने से निष्कासित कर दिया जायेगा तथा योजना के अंतर्गत संबंधित कलस्टरो के जिलो में (L-2) बीमा कंपनी को उनकी सहमति के आधार पर (L-1) प्रीमियम दर पर क्रियान्वयन एजेन्सी के रूप मे अधिकृत किया जायेगा। (L-2) बीमा कंपनी की सहमति नही होने की स्थिति मे इसी कम में (L-3), (L-4)_ (L-n)___को उनकी सहमति के अनुरूप (L-1) प्रीमियम दर पर क्रियान्वयन एजेन्सी के रूप मे संबंधित कलस्टर में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जायेगा। (L-2) -----(L-n)-----बीमा कंपनी की L-1 के प्रीमियम दरो पर सहमति ना होने की स्थिति मे लिखित रूप से असहमति का कारण निविदा समिति को प्रस्तुत किया जावेगा। जिसकी प्रति कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु पृष्ठांकित की जायेगी। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा पुनः निविदा आमंत्रित करने मे होने वाले समस्त व्यय को (L-1) बीमा कंपनी से वसूल की जायेगी, साथ ही पुनः निविदा मे निर्धारित (L-1) के कारण प्रीमियम पर अनुदान मद में हुई अतिरिक्त वित्तीय हानि की वसूली भी संबंधित बीमा कंपनी से की जायेगी।

2.12 यदि एक से अधिक बीमा कम्पनी की कलस्टर के लिए समान प्रीमियम दर प्राप्त होती है तो जिस बीमा कम्पनी का विगत 3 वर्ष (2022–23 से 2024–25) का औसत अंकेक्षित कारोबार

अधिक होगा, उसे एल–01 माना जायेगा।

2.13 किसी भी कलस्टर की किसी भी फसल के लिए बीमा प्रीमियम की दरों को स्वीकृत एवं अस्वीकृत किये जाने का अधिकार उपापन संस्था को होगा।

2.14 निविदा आमंत्रण प्राधिकारी आवश्यकता को देखते हुए न्यूनतम बोलीदाता से प्रीमियम दरों को नेगोशिएट करने हेतु आमंत्रित कर सकेंगे।

Section - VII Notification and Execution of Contract

अनुभाग– VII अधिसूचना एवं बीमा अनुबंध का क्रियान्वयन

1. वित्तीय निविदा के मूल्याकंन उपरान्त सफल बोलीदाता एवं उसके द्वारा प्रस्तुत की गई प्रीमियम दरों का प्रस्ताव निविदा आमंत्रण प्राधिकारी द्वारा राज्य सरकार के सक्षम स्तर को अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। सक्षम स्तर से अनुमति उपरान्त अनुमोदित बोलीदाता को एलओआई जारी कर राशि रूपये 500/– का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र निर्धारित प्रारूप (शिडयूल 10) में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जावेगा।

2. प्रथम न्यूनतम बोलीदाता बीमा कम्पनी (एल 1) को सूचित किए जाने के उपरान्त यदि निविदा आमंत्रण प्राधिकारी उसे अयोग्य ठहरा देता है, तो वह द्वितीय न्यूनतम बोलीदाता बीमा कम्पनी (एल 2) को एल 1 कम्पनी की दरों पर कार्य करने हेतु प्रस्ताव दे सकता है।

3. फसल बीमा हेतु कलस्टरवार न्यूनतम बोलीदाता बीमा कम्पनी को राज्य में बीमा व्यवसाय के लिए अलग बैंक खाता संधारित किया जाना आवश्यक होगा। इस आशय हेतु बीमा कम्पनी को प्रीमियम दरें प्रस्तुत करते समय कम्पनी के लैटरहेड पर लिखित में मय प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर देना आवश्यक होगा।

4. भारत सरकार द्वारा जारी योजना की प्ररिचालन मार्गदर्शिका, 2023 के बिन्दु संख्या 7.1.14 के अनुसार एल 1 बोलीदाता को निविदा खोले जाने/कार्य आवंटन के उपरान्त निविदा वापस लेने की अनुमति नहीं है। यदि एल 1 बोलीदाता ऐसा करता है, तो उस पर राज्य सरकार को पुर्ननिविदा में होने वाली हानि/कार्य अन्य बोलीदाता को आवंटन करने की अवस्था में एल 1 बोलीदाता से वसूल करने का पूर्ण अधिकार होगा। यदि कोई चयनित न्यूनतम बोलीदाता बीमा कम्पनी उसे आवंटित कलस्टर का फसल बीमा व्यवसाय करने से मना करती है, तो उस पर भारत सरकार द्वारा जारी योजना की परिचालन मार्गदर्शिका, 2023 के अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

Section - VIII Instruction of Payment of Tender Fee, RISL Processing Fee and Stamp Fee of Rs. Five Hundred

अनुभाग– VIII ई–ग्रास से टेण्डर फीस, आरआईएसएल प्रोसिसिंग फीस, बोली प्रतिभूति राशि एवं पांच सौ रूपये के स्टाम्प की फीस जमा कराने हेतु निर्देश

टेण्डर फीस, प्रोसेसिंग फीस एवं स्टाम्प चार्जेज का ऑन–लाईन भुगतान कर जमा राशि के चालान की प्रति scan कर निविदा के साथ upload करनी होगी। ऑन लाईन भुगतान हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया अपनानी होगीः–

1. वेवसाईट https://egras.rajasthan.gov.in/ खोलने के पश्चात् बोलीदाता को Login User ID एवं Password तैयार करना होगा। इस हेतु बेवसाईट के दांयी ओर नीचे की तरफ अंकित New User पर click करना होगा। तत्पश्चात Login Form खुलने पर आवश्यक जानकारी भरकर प्रस्तुत करने पर User का Login User ID एवं Password तैयार हो जावेगा, जिसका verification दिए गए मोबाईल नम्बर पर आए OTP से होगा।
2. तैयार Login User ID एवं Password की सहायता से वेबसाईट sign in करने पर संबधित फीस के भुगतान हेतु निम्नानुसार कार्यवाही कर चालान जनरेट कर on-line भुगतान किया जा सकेगाः

(अ) राशि रूपये 20000/–टेण्डर फीस का भुगतान :–

1. Profile Tab को click कर drop down में उपलब्ध Create Profile को click करेंगे।
2. Select Department को click कर drop down से 2-Agriculture Department का चयन करेंगे।
3. Major Head में सलेक्ट मेजर हैड को click करने के बाद More Heads Tab को click कर 0075–विविध सामान्य सेवाएं drop down से select करेंगे। इसके पश्चात नीचे टेबिल में बाईं ओर तीन मदें प्रकट होगी, जिसमें से 0075–00–800–52–01–निविदा शुल्क की प्राप्तियाँ को click करने के पश्चात उसके सामने स्थित arrow को click करने पर उक्त मद दायीं ओर की table में दर्शित हो जावेगी।
4. Table के उपरी साईड में अंकित Profile Name में Tender Fees type करना होगा।
5. तत्पश्चात Submit Button को click करने के पश्चात OK को click करने पर चालान जनरेट हो जावेगा।
6. चालान में District में Jaipur एवं ऑफिस नेम में 3-Commissioner, Agriculture Department, Raj. Jaipur को drop down से सलेक्ट करने के पश्चात select period में drop down से ONE TIME भरना है। Amount के कॉलम में 20000/– भरने के पश्चात

Payment Details में E-Banking Payment gateway/Credit/Debit Card का चयन कर संबधित बैंक का चयन करना होगा।

7. चालान के नीचे Remarks के लिए जगह दी हुई है, उक्त स्थान पर Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna Tender Fees Amount Rs. 20000 अंकित किया जाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण की जावे तथा जमा चालान की प्रति Print की जावे।

(ब) राशि रूपये 2500/–प्रोसेसिंग फीस का भुगतान :–

1. Profile Tab को click कर drop down में उपलब्ध Create Profile को click करेंगे।
2. Select Department को click कर drop down से 105 ट्रेजरी एण्ड एकाउन्ट डिपार्टमेंट का चयन करेंगे।
3. Major Head में सलेक्ट मेजर हैड को click करने के बाद More Heads Tab को click कर मद 8658 ड्रोप डाउन से सलेक्ट करेंगे। इसके पश्चात नीचे टेबिल में बायीं तरफ चार मदें प्रकट होगी। जिसमें से 8658–00–102–16–01–सिविल विभाग को click करने के पश्चात उसके सामने स्थित arrow को click करने पर उक्त मद दायीं ओर की table में दर्शित हो जावेगी।
4. टेबिल के उपरी साईड में अंकित Profile Name: में Tender Processing Fees अंकित करना होगा।
5. तत्पश्चात Submit Button को click करने के पश्चात OK को click करने पर चालान जनरेट हो जावेगा।
6. चालान में जिला– जयपुर ऑफिस नेम में– 1110 ट्रेजरी ऑफिस जयपुर सचिवालय drop down से सलेक्ट करने के पश्चात सलेक्ट पिरीयड में drop down से ONE TIME भरना है। राशि के कॉलम में 2500/– भरने के पश्चात भुगतान हेतु Payment Details में E-Banking Payment gateway/Credit/Debit Card का चयन कर संबधित बैंक का चयन करना होगा।
7. चालान के नीचे रिमार्क के लिए जगह दी हुई है, उक्त स्थान पर Rs. 2500/-processing Fee Payment to MD RISL for Tender of "Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna" by Commissioner Agriculture अंकित किया जाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण की जावे तथा जमा चालान का प्रिन्ट प्राप्त किया जावे।

(स) राशि रूपये 500/–का स्टाम्प फीस का भुगतान :–

1. Profile Tab को click कर drop down में उपलब्ध Create Profile को click करेंगे।

2. Select Department को click कर drop down से 86 रजिस्ट्रेशन एण्ड स्टाम्प डिपार्टमेंट का चयन करेंगे।
3. Major Head में सलेक्ट मेजर हैड को click करने के बाद More Heads Tab को click कर 0030 स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क drop down से सलेक्ट करेंगे। इसके पश्चात नीचे टेबिल में बायीं तरफ विभिन्न मदें प्रकट होंगी, जिसमें से 0030–02–102–02–00–अन्य गैर अदालती स्टाम्प से बिक्री से आय को click करने के पश्चात उसके सामने स्थित arrow को click करने पर उक्त मद दायीं ओर की table में दर्शित हो जावेगी।
4. टेबिल के उपरी साईड में अंकित प्रोफाईल नेम में स्टाम्प फीस अंकित करना होगा।
5. तत्पश्चात Submit Button को click करने के पश्चात OK को click करने पर चालान जनरेट हो जावेगा।
6. चालान में जिला–जयपुर, ऑफिस नेम में– 9060 डीआईजी रजिस्ट्रेशन एवं स्टाम्प सर्किल प्रथम जयपुर drop down से सलेक्ट करने के पश्चात सलेक्ट पिरीयड में drop down से ONE TIME भरना है। राशि के कॉलम में 500/– भरने के पश्चात भुगतान हेतु ई बैंकिग या पेमेन्ट गेटवे का चयन कर संबधित बैक का चयन करना होगा।
7. चालान के नीचे रिमार्क के लिए जगह दी हुई है, उक्त स्थान पर Stamp Fee of Rs. 500 for Affidavit, submitted to Commissioner Agriculture for e-Tender of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna अंकित किया जाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण की जावे। जमा चालान का प्रिन्ट प्राप्त किया जावे।

(Section - IX Various Schedules of Tender (Schedule 1 to 10)

अनुभाग– IX निविदा से सम्बन्धित विभिन्न अनुसूचियां (अनुसूची 1 से 10)

Schedule - 1

Grievance Handling Procedure during Procurement Process (Appeals)

The designation and address of the first Appellate Authority is PS Agriculture. The designation and address of the Second Appellate Authority is Secretary, FD.

1- Filing an appeal:

If any Bidder or prospective Bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to the First Appellate Authority as specified in the bidding document, within a period of ten days from the date of such decision, action, or omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings: providing further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Finacial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

2- The officer to whom an appeal is filed under para (a) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within a period of 30 days of the date of filling of the appeal.

3- If the officer designated under para (a) fails to dispose of the appeal within the period specified in para (b) or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be, may file a second appeal to the Second Appellate Authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the specified in para (b) or date of receipt of the order passed by the first Appellate Authority, as the case may be.

4- Appeal not be lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely: -

a) Determination of need of procurement;

b) Provision limiting participation of Bidders in the bidding process;

c) The decision of whether or not to enter into negotiations;

d) Cancellation of a procurement process;

e) Applicability of the provision of confidentiality.

5- From and procedure of filing an appeal

a) An appeal under para (1) or (3) shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents the appeal.

b) Every appeal shall be accompanied by and order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

6- Fee for filing appeal

i. Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

ii. The fee shall be paid in the form of bank, demand draft or banker's Cheque of a scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

7- Procedure for disposal of appeals:

i. The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

ii. On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall, -

(a) hear all the parties to appeal present before him; and

(b) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or

iii. After hearing the parties, peruse or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

iv. The order passed under sub-clause (c) above shall be placed on the State Public Procurement Portal.

Schedule - 2

FORM No. 1 [See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No …….. of …….. Before the …….. …….. (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant;
   (i) Name of the appellant:
   (ii) Official address, if any:
   (iii) Residential address:
2. Name and address of the respondent(s);
   (I)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order(enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved;
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal:(Supported by affidavit)
7. Prayer……..
   Place……..
   Date……..

Appellant's Signature

Schedule - 3

Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall- not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process.

(a) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation.

(b) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti- competitive behaviour to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(c) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process:

(d) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process:

(e) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process:

(f) Disclose conflict of interest, if any: and

(g) Disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest: -

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest. A conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligation, or compliance with applicable laws and regulations.

A Bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limted to:

a. Have controlling partners/shareholders in common; or

b- Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

c- Have the same legal representative for the purposes of the Bid; or

d- Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process: or

e- The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one bid in result in the disqualification of all bids in which the bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f- The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, works or services that are the subject of the Bid; or

g- Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Signature of Biddder

Schedule - 4

SELF-DECLARATION
{to be filled by the bidder}

To,
{Procuring entity},

In response to the NIB Ref. No. _____ dated _____ for {Project Title}, as an Owner/ Partner/ Director/ Auth. Sign.of _____ _____, I/ We hereby declare that presently our Company/ firm _____, at the time of bidding: -

a) possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
b) have fulfilled my/ our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
c) is having unblemished record and is not declared ineligible for corrupt & fraudulent practices either indefinitely or for a particular period of time by any State/ Central government/ PSU/ UT.
d) does not have any previous transgressions with any entity in India or any other country during the last three years
e) does not have debarment by any other procuring entity
f) is not insolvent in receivership, bankrupt or being wound up, not have its affairs administered by a court or a judicial officer, not have its business activities suspended and is not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
g) does not have and our directors and officers not have been convicted of any criminal offence related to their professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to their qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of the procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
h) does not have a conflict of interest as mentioned in the bidding document which materially affects the fair competition.
i) will comply with the code of integrity as specified in the bidding document.

If this declaration is found to be incorrect then without prejudice to any other action that may be taken as per the provisions of the applicable Act and Rules thereto prescribed by GoR, and our bid, to the extent accepted, may be cancelled.

Thanking you,

Name of the Bidder: -

Authorised Signatory: -

Seal of the Organization: -

Date:

Place:

Schedule - 5

BIDDER'S AUTHORIZATION CERTIFICATE

To,
{Procuring entity},
_____,

I/ We _____ Name/ Designation} hereby declare/ certify that _____ {Name/ Designation} is hereby authorized to sign relevant documents on behalf of the company/ firm in dealing with NIB reference No. _____ dated _____ He/She is also authorized to attend meetings & submit technical & commercial information/clarifications as may be required by you in the course of processing the Bid. For the purpose of validation, his/ her verified signatures are as under.

Thanking you,

Name of the Bidder: -
Authorised Signatory: -
Seal of the Organization: -
Date:
Place:

Verified Signature:

Schedule - 6

PRE-BID QUERIES FORMAT

Name of the Company/Firm:_____ Bidding Document Fee Receipt No. _____ Dated _____ for Rs. _____/-

Name of Person(s) Representing the Company/ Firm:

Name of Person	Designation	Email-ID(s)	Tel. Nos. & Fax Nos.

Company/Firm Contacts:

Contact Person(s)	Address for Correspondence	Email-ID(s)	Tel. Nos. & Fax Nos.

Query / Clarification Sought:

S.No.	RFP Page No.	RFP Rule No.	Rule Details	Query/ Suggestion/ Clarification

Note: - Queries must be strictly submitted only in the prescribed format (.XLS/ .XLSX/ .ODF). Queries not submitted in the prescribed format will not be considered/ responded at all by the procuring entity. Also, kindly attach the coloured scanned copy of the receipt towards the submission of the bidding/ tender document fee.

Schedule - 7

FINANCIAL FORMAT (INDICATIVE)

{to be submitted by the bidder only in BoQ format (.XLS) available at e-Procurement portal}

Following table shall be used submission of financial bid from the bidders:

Financial Bid Format – to be submitted online through e-proc. only

Tender Inviting Authority:								
Name of Work:								
NIT Ref. :								
Bidder Name:								
S. No	Season	Cluster	District	Crop	Average sown area (Based on last three year average) (in Hac.)	Area Insured (based on last season data) (in Hac.)	Sum Insured (Rs. Per Ha.)	Quoted Premium Rate in % (This rate will remain unchange for One year)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*

Schedule - 8

न्यूनतम बोलीदाता बीमा कम्पनी द्वारा कम्पनी के लैटरहेड पर अलग बैंक खाता संधारित किए जाने हेतु राज्य सरकार को दिया जाने वाले पत्र का प्रारूप

(Confirmation to operate saperate Bank Account for Crop Insurance Work in State)

क्रमांकः दिनांकः

आयुक्त कृषि,
कृषि विभाग राजस्थान,
पंत कृषि भवन, जयपुर।

विषय – राजस्थान में फसल बीमा व्यवसाय हेतु अलग बैंक खाता संधारित किए जाने बाबत्।

महोदय,

मैं .....(बीमा कम्पनी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति का नाम)....., ...(बीमा कम्पनी का नाम)..... की ओर से यह घोषणा करता हूँ, कि यदि .....(बीमा कम्पनी का नाम)... को राजस्थान राज्य में वर्ष 2026–27 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत की गई निविदा में किसी भी कलस्टर में न्यूनतम बोलीदाता बीमा कम्पनी के रूप में अधिसूचित किया जाता है तो .....(बीमा कम्पनी का नाम)..... द्वारा राज्य में फसल बीमा व्यवसाय के लिए अलग से बैंक खाता संधारित किया जाएगा, एवं इसकी जानकारी अधिसूचना जारी होने के बाद कृषि विभाग को उपलब्ध करा दी जाएगी।

ऐसा नहीं किए जाने पर राज्य सरकार द्वारा की गई किसी भी प्रकार की कार्यवाही के लिए ..... .(बीमा कम्पनी का नाम)..... जिम्मेदार रहेगी।

बीमा कम्पनी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
मय कम्पनी की मोह

Schedule - 9

Bid Submission Check List

S. N.	Documents Type	Document Format	Page No.	Yes/ No
1.	*Tender Fee Rs. 20000/-*	*Deposited challan/ BC/ DD*		
2.	*RISL Processing Fee Rs. 2500/-*	*Deposited challan/ BC/ DD*		
3.	**Proof of Bid Security (BC/DD/BG/ e-BG/E-Grass challan)**	***Deposited challan/ BC/ DD/ BG***		
4.	Affidavit on Stamp of Rs. 500/-	*As per Section V (4)(1)(ii)*		
5.	Affidavit stamp fees Rs. 500/- (if challan fees deposited online through e-Grass)	Deposited challan		
6.	Certificate Copy of Registration/ Renewel issued by IRDA	As per Section V (4)(1)(i)		
7.	Empenelment of Insurance Company by GoI for crop insurance business (PMFBY)	Valid Empenelment order /letter issued by GoI		
8.	*Each page of bid document (Page No 1 to ----) to be uploaded on e_Proc Portal after signing of Authorised Signatory of Bidding Co.*	-		
9.	Self Declaration for Separate Bank Account holding for PMFBY.	As per Section VII (3)		
10.	Audited Turnover certificate for 2022-23 to 2024-25	Issued by Chartered Accountant with UDIN		

Signature of Bidder or Authorised Signatory

Schedule - 10

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
(to be submitted by selected Insurance Company L-1)
(On Non-Judicial Stamp Rs. 500/- of Rajasthan)

This MEMORANDUM OF UNDERSTANDING entered into at Jaipur, Rajasthan on .....day of..... 2026 between The Commissioner of Agriculture, Rajasthan State. Jaipur having its place of office at 1st and 2nd floor. Pant Krishi Bhawan, C-Scheme, 302005 here in after called the "NODAL OFFICER", PMFBY Scheme.

AND

Mis..... a company registered under the companies Act 1956 and licensed as a GENERAL INSURANCE COMPANY under the Insurance Regulatory Development Authority and having its registered office at .....hereinafter called the "Insurer", PMFBY Scheme.

WHERE AS

1. The Nodal Officer has expressed its desire to insure the notified crops in notified areas in the State of Rajasthan by implementation of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana by granting insurance coverage to the farmers of the notified crops (Insured farmers).
2. The Insured farmers covered the notified crop in notified area from the season Kharif & Rabi Year 2026-27 and the policy of which will expire after Final settlement & disbursement of claims for the season Kharif & Rabi Year 2026-27.
3. The Government published tender notice ..... on ..... in which interested empanelled Insurance Companies for the purpose of implementing the scheme without any remuneration from Government of Rajasthan.
4. .....is selected as the Insurance company for the work for Cluster number..... of the State of Rajasthan from the applications received for the purpose.
5. Vide Government Notification in Hindi Number ..... dated .... is appointed as insurance company for Cluster.....for the purpose of implementation of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana in season Kharif & Rabi Year Year 2026-27 in Rajasthan State.

NOW IT IS AGREED BY AND BETWEEN THE PARTIES HERE TO AS FOLLOWS

The Insurance Company selected as implementing agency for the Cluster Number ..... covering ..... Districts has to implement Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana in Season Kharif & Rabi Year Year 2026-27as per the following conditions.

1. Terms & conditions mentioned in the tender document NIB number ---------- and Notification also amendment Notification by State Government.
2. Terms & conditions as well as role and responsibilities of insurance company mentioned by Government of India in the Operational Guidelines, 2023 of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana & directions of GoI dissimenated at time to time.
3. Insurance company to have an agreement with CSC e-Governance services India Ltd. to enroll non loanee farmers for PMFBY through CSC's Network.
4. Insurance company have boundation to Provide Progress Report in Prescribed form in due time as demanded by State Government.

On behalf of insured farmers Department of Agriculture on its part to perform the following function

1. To release the State Government share of premium subsidy to insurance companies through Escrow Agent designated by Government of Rajasthan as per Escrow accounts system Guidline of GoI.
2. To provide Final actual average yield in the notified area to State head office of the insurance company within the prescribed cut-off date.

IN WITHNESS WHERE of the parties here to have put their hands the day of ..... 2026 first herein above written.

In the presence of Mr. .....
Commissioner of Agriculture, Department of Agriculture, GoR. Jaipur

Signed by the within named

_____Officer Incharge (Senior Officer)
Company Name .....Jaipur

In the presence of Shri.....

NAME :

ADDRESS

Schedule - 11

1- BID Security:

Bid security shall be 2% or as Specified by the State Government of the estimated value of subject of procurement put to bid. In case of small-scale Industries of Rajasthan, it shall be 0.5% of the quantity offered for the supply or service to be rendered and in case of sick industries, other than small scale industries, whose cases are pending with Board industrial and Financial Reconstruction, it shall be 1% of the value of the bid. Concessional bid security may be taken from registered bidders as specified by the State Government.

Every bidder, if not exempted, participating in the procurement process will be required to furnish the bid security as specified in the NIB.

(i) In lieu of bid security, a bid securing declaration shall be taken from Departments of the State Government and Undertakings, Corporations, Autonomous bodies, Registered Societies, Cooperative Societies which are owned or controlled or managed by the State Government and Government Undertakings of the Central Government.

(ii) Bid security of a bidder lying with the procuring entity in respect of other bids awaiting decision shall not be adjusted towards bid security for the fresh bids. The bid security originally deposited may, however, be taken into consideration in case bids are re-invited.

(iii) The bid security may be given in the form of a banker's cheque or demand draft or bank guarantee (BG)/e-BG in specified format, of a scheduled bank or deposit through eGrass or Fixed Deposit Receipt (FDR) of a scheduled bank. FDR shall be in the name of procuring entity on account of bidder and discharged by the bidder in advance. The procuring entity shall ensure before accepting the FDR that the bidder furnished an undertaking from the bank to make payment/premature payment of the FDR on demand to the procuring entity without requirement of consent of the bidder concerned. The bid security must remain valid 120 days beyond the original or extended validity period of the bid.

(iv) The issuer of the bid security and the confirmer, if any, of the bid security, as well as the form and terms of the bid security, must be acceptable to the procuring entity.

(v) Prior to presenting a submission, a bidder may request the procuring entity to confirm the acceptability of proposed issuer of a bid security or of a proposed confirmer, if required. The procuring entity shall respond promptly to such a request.

(vi) The bank guarantee (BG), E-BG, if any, presented as bid security shall be got confirmed from the concerned issuing bank. However, the confirmation of the acceptability of a proposed issuer or of any proposed confirmer does not preclude the procuring entity from rejecting the bid security on the ground that the issuer or the confirmer, as the case may be, has become insolvent or has otherwise ceased to be creditworthy.

(vii) The bid security of unsuccessful bidders shall be refunded soon after final acceptance of successful bid and signing of Agreement and submitting performance security.

(viii) The Bid security taken from a bidder shall be forfeited, including the interest, if

any, in the following cases, namely:

a) When the bidder withdraws or modifies its bid after opening of bids;

b) When the bidder does not execute the agreement, if any, after placement of supply/ work order within the specified period;

c) When the bidder fails to commence the supply of the goods or service or execute work as per supply/ work order within the time specified;

d) When the bidder does not deposit the performance security within specified period after the supply/ work order is placed; and

e) If the bidder breaches any provision of code of integrity, prescribed for bidders, specified in the bidding document.

f) Notice will be given to the bidder with reasonable time before bid security deposited is forfeited.

(ix) No interest shall be payable on the bid security.

(x) In case of the successful bidder, the amount of bid security may be adjusted in arriving at the amount of the Performance Security, or refunded if the successful bidder furnishes the full amount of performance security.

(xi) The procuring entity shall promptly return the bid security after the earliest of the following events, namely: -

a) The expiry of validity of bid security;

b) The execution of agreement for procurement and performance security is furnished by the successful bidder;

c) The cancellation of the procurement process; or

d) The withdrawal of bid prior to the deadline for presenting bids, unless the bidding documents stipulate that no such withdrawal is permitted.

2- Execution of agreement:

i. A procurement contract shall come into force from the date on which the letter of acceptance or letter of intent is dispatched to the bidder.

ii. The successful bidder shall sign the procurement contract within 15 days from the date on which the letter of acceptance or letter of intent is dispatched to the successful bidder.

iii. If the bidder, who's Bid has been accepted, fails to sign a written procurement contract or fails to furnish the required performance security within specified period, the procuring entity shall take action against the successful bidder as per the provisions of the bidding document and Act. The procuring entity may, in such case, cancel the procurement process or if it deems fit, offer for acceptance the rates of lowest or most advantageous bidder to the next lowest or most advantageous bidder, in accordance with the criteria and procedures set out in the bidding document.

iv. The bidder will be required to execute the agreement on a non-judicial stamp of specified value at its cost and to be purchase from anywhere in Rajasthan only.

3- Performance Security:

i. Prior to execution of agreement, Performance security shall be solicited from all successful bidders except the

a) Departments/ Boards of the State Government or Central Government;

b) Government Companies as defined in clause (45) of section 2 of the Companies Act, 2013;

c) Company owned or controlled, directly or indirectly, by the Central Government, or by any State Government or Governments, or partly by the Central Government and partly by one or more State Governments which is subject to audit by the Auditor appointed by the Comptroller and

Auditor-General of India under sub-section (5) or (7) of section 139 of the Companies Act, 2013; or

d) Autonomous bodies, Registered Societies, Cooperative Societies which are owned or controlled or managed by the State Government or Central Government.

However, a performance security declaration shall be taken from them. The State Government may relax the provision of performance security in a particular procurement or any class of procurement."

ii. The amount of performance security shall be 5.00% of the amount of offered value/supply order. In case of small-scale industry of Rajasthan, it shall be 1.00% of the amount of quantity for supply of goods or service to be rendered and in case of sick industry other than the small-scale industry whose cases are pending before the board of Industrial and Financial Reconstruction it shall be 2.00% of the amount of the offered value/supply order.

iii. Performance security shall be furnished in any one of the following forms: -

a) Bank Draft or Banker's Cheque of a scheduled bank;

b) National Savings Certificates and any other script/ instrument under National Savings Schemes for promotion of small savings issued by a Post Office in Rajasthan, if the same can be pledged under the relevant rules. They shall be accepted at their surrender value at the time of bid and formally transferred in the name of procuring entity with the approval of Head Post Master;

c) Bank Guarantee/e Bank Guarantee of a scheduled bank. It shall be got verified from the issuing bank. Other conditions regarding bank guarantee shall be same as mentioned in the bidding document for bid security;

d) Fixed Deposit Receipt (FDR) of a scheduled bank. It shall be in the name of procuring entity on account of bidder and discharged by the bidder in advance. The procuring entity shall ensure before accepting the FDR that the bidder furnishes an undertaking from the bank to make payment/premature payment of the FDR on demand to the procuring entity without requirement of consent of the bidder concerned. In the event of forfeiture of the performance security, the Fixed Deposit shall be forfeited along with interest earned on such Fixed Deposit.

e) For online deposit of Performance security through e-grass.raj portal may adopt the process as per Annexure-XIII.

iv. Performance security furnished in the form specified in 4.12.3.1 to 4.12.3.5 of above shall remain valid for a period of 60 days beyond the date of completion of all contractual obligations of the bidder, including warranty obligations and maintenance and defect liability period.

v. Forfeiture of Security Deposit: Security amount in full or part may be forfeited, including interest, if any, in the following cases: -

a) When any terms and condition of the contract is breached.

b) When the bidder fails to make complete supply satisfactorily.

c) If the bidder breaches any provision of code of integrity, prescribed for bidders, specified in the bidding document.

vi. Notice will be given to the bidder with reasonable time before PSD deposited is forfeited.

vii. No interest shall be payable on the PSD.

4- Additional Performance Security:

i. In addition to performance Security as Section clause 4.12, an additional Performance Security shall also be taken from the successful bidder in case to unbalance bid. The additional Performance Security shall be equal to 50% of unbalance bid amount. The additional Performance Security shall be deposited in lump sum by the successful bidder prior to execution of the agreement. The additional Performance Security shall be deposited through e-grass or demand Draft or Bankers Cheque or Bank Guarantee/eBG.

Explanation: For purpose of this Rule-

a) Unbalanced bid means any bid below more than 15% of estimated bid value.

b) Estimated Bid value means value of subject matter of procurement mentioned in bid document by the procuring entity.

c) Unbalanced bid amount means positive difference of eighty five percent of estimated bid value minus bid amount quoted by the bidder.

ii. The additional Performance Security shall be refunded to the contractor after satisfactory completion of entire work. The additional Performance Security shall be forfeited by procuring entity when work is not completed within stipulated period by the contractor.

BANK GUARANTEE FORMAT (FOR BID SECURITY DEPOSIT)

(To be stamped in accordance with Stamp Act and on a Stamp-Paper purchased from any part of India and to be issued by a Nationalized/ Scheduled bank having its branch at Jaipur and payable at par at Jaipur, Rajasthan)
Bank's Name, and Address of Issuing Branch or Office:
Beneficiary: [insert Name and Address of Procuring Entity] Date:
BID GUARANTEE No:

We have been informed that [insert name of the Bidder] (hereinafter called "Bidder") has submitted to you its Proposal/ Bid dated [insert date] (hereinafter called "the Proposal/ Bid") for the execution of [insert name of contract] under Request for Proposals/ Notice Inviting Bids No. [insert RFP/ NIB number].

Furthermore, we understand that, according to your conditions, Proposals/ Bids must be supported by a bid guarantee.

At the request of the Bidder, we [insert name of Bank] hereby irrevocably undertake to pay you any sum or sums not exceeding in total an amount of ---------- [insert amount in figures][insert amount in words] upon receipt by us of your first demand in writing accompanied by a written statement stating that the Bidder is in breach of its obligation(s) under the Proposal/ Bid conditions, because the Bidder:

(a) has withdrawn or modified its Bid/ Proposal after deadline for submission of bids/ proposals, during the period of bid/ proposal validity specified by you in RFP or

(b) having been notified during the period of bid/ proposal validity specified in the RFP, about the acceptance of its Bid/ Proposal by you,

(i) failed or refused to execute the Contract Agreement within the time period specified in the RFP, or

(ii) failed or refused to furnish the performance security, in accordance with the Instructions to Bidders (hereinafter "the ITB/ ITC") within the time period specified in the RFP, or

(c) has not accepted the correction of arithmetical errors in accordance with the ITB/ ITC; or

(d) has breached a provision of the Code of Integrity specified in the RTPP Act, RTPP Rules and the ITB/ ITC.

This guarantee will expire:

(a) if the Bidder is the successful Bidder, upon our receipt of copies of the contract signed by the Bidder and the performance security issued to you upon the instruction of the Bidder; and

(b) if the Bidder is not the successful Bidder, upon the earlier of (i) our receipt of a copy of your notification to the Bidder of the name of the successful Bidder; or (ii) thirty days after the expiration of the validity of the Bidder's Proposal/ Bid.

Consequently, any demand for payment under this guarantee must be received by us at the office on or before that date.

Signed: _____ [insert signature of person whose name and capacity are shown]

Name: _____ [insert complete name of person signing the Bid Security]

In the capacity of: _____ [insert legal capacity of person signing the Bid Security]

Duly authorized to sign the Bid Security for and on behalf of [insert name of the Bank]

Dated on day of, [insert date of signing] Bank's Seal _____ [affix seal of the Bank]

[Note: In case of a Joint Venture, the Bid-Security must be in the name of all partners to the Joint Venture that submits the bid.]

BANK GUARANTEE FORMAT (FOR PERFORMANCE SECURITY DEPOSIT)

(To be stamped in accordance with Stamp Act and on a Stamp-Paper purchased from any part of India and to be issued by a Nationalized/ Scheduled bank having its branch at Jaipur and payable at par at Jaipur, Rajasthan)

Guarantee No.....

Amount of Guarantee Rs.....

Guarantee cover from.....to .....

Last date of lodgment of claim .....

To,

The Commissioner,

Department of Agriculture,

Pant Krishi Bhawan, Jaipur-302005 (Raj).

1. In consideration of the DoA having agreed to exempt M/s .....(hereinafter called "the said Contractor(s)"from the demand, under the terms and conditions mentioned in bid invited for rate contract through an Order No.....dated ..... for the said work .....(hereinafter called "the said Agreement") of Bid Security Deposit for the due fulfilment by the said Contractor (s) of the terms and conditions contained in the said Agreement, on production of a Bank Guarantee for Rs.....(rupees .....only), we .....(indicate the name of the Bank), (hereinafter referred to as "the Bank") at the request of .....Contractor(s) do hereby undertake to pay to the DoA an amount not exceeding Rs.....(Rupees.....only) on demand.
2. We..... (Indicate the name of Bank), do hereby undertake to pay Rs..... (Rupees.....only), the amounts due and payable under this guarantee without any demur or delay, merely on a demand from the DoA. Any such demand made on the bank by the DOA shall be conclusive as regards the amount due and payable by the Bank under this guarantee. The Bank Guarantee shall be completely at the disposal of the DoA and We..... (Indicate the name of Bank), bound ourselves with all directions given by DoA regarding this Bank Guarantee. However, our liability under this guarantee shall be restricted to an amount not exceeding Rs..... only).
3. We.....(indicate the name of Bank), undertake to pay to the DoA any money so demanded notwithstanding any dispute or disputes raised by the contractor(s) in any suit or proceeding pending before any Court or Tribunal or Arbitrator etc. relating thereto, our liability under these presents being absolute, unequivocal and unconditional.
4. We.....(indicate the name of Bank) further agree that the performance guarantee herein contained shall remain in full force and effective up to .....and that it shall continue to be enforceable for above specified period till all the dues of DoA under or by virtue of the said Agreement have been fully paid and its claims satisfied or discharged or till the DoA certifies that the said Agreement have been fully and properly carried out by the said Contractor(s) and accordingly discharges this guarantee.
5. We .....(indicate the name of Bank) further agree with the DoA that the DoA shall have the fullest liberty without our consent and without affecting in any manner our obligations hereunder to vary any of the terms and conditions of the said Agreement or to extend time of performance by the said Contractor(s) from time to time or to postpone for any time or from time to time any of the powers exercisable by the DoA against the said Contractor(s) and to forbear or enforce any of the terms and conditions relating to the said Agreement and we shall not be relieved from our liability by reason of any such variation, or extension being granted to the said Contractor(s) or for any forbearance, act or omission on the part of the DoA or any indulgence by the

DoA to the said Contractor(s) or by any such matter or thing whatsoever which would but for this provision, have effect of so relieving us.

6. The liability of us ..... (Indicate the name of Bank), under this guarantee will not be discharged due to the change in the constitution of the Bank or the contractor(s).
7. We ..... (Indicate the name of Bank), lastly undertake not to revoke this guarantee except with the previous consent of the DoA in writing.
8. This Bank Guarantee shall remain valid and in full effect, until it is decided to be discharged by the DoA. Notwithstanding anything mentioned above, our liability against this guarantee is restricted to Rs..... (Rupees.....only)
9. It shall not be necessary for the DoA to proceed against the contractor before proceeding against the Bank and the guarantee herein contained shall be enforceable against the Bank notwithstanding any security which the DoA may have obtained or obtain from the contractor.
10. We ..... (indicate the name of Bank) verify that we have a branch at Jaipur. We undertake that this Bank Guarantee shall be payable at any of its branch at Jaipur. If the last day of expiry of Bank Guarantee happens to be a holiday of the Bank, the Bank Guarantee shall expire on the close of the next working day.
11. We hereby confirm that we have the power(s) to issue this guarantee in your favor under the memorandum and articles of Association/constitution of our bank and the undersigned is/are the recipient of authority by express delegation of power(s) and has/have full power(s) to execute this guarantee for the power of attorney issued by the bank.

Dated.....day of.....For and on behalf of the (indicate the Bank)

Date .....

(Signature) .....

Place .....

(Printed Name) ..... (Designation)

..... (Bank's common seal) .....

In presence of: WITNESS (with full name, designation, address & official seal, if any)

(1) ....

(2) ....

GUIDELINES FOR SUBMISSION OF BANK GUARANTEE

The Bank Guarantee shall fulfil the following conditions in the absence of which they cannot be considered valid: -

1. Bank Guarantee shall be executed on non- judicial stamp paper of applicable value purchased in the name of the bank.
2. Two persons should sign as witnesses mentioning their full name, designation, address and office seal (if any).
3. The Executor (Bank Authorities) may mention the power of attorney No. and date of execution in his/ her favor authorizing him/ her to sign the document. The Power of Attorney to be witnessed by two persons mentioning their full name and address.
4. The Bank Guarantee should be executed by a Nationalized Bank/ Scheduled Commercial Bank only.
5. Non – Judicial stamp paper shall be used within 6 months from the date of Purchase of the same. Bank Guarantee executed on the non-judicial stamp paper after 6 (six) months

of the purchase of such stamp paper shall be treated as non-valid.

6. The contents of Bank Guarantee shall be strictly as per format prescribed by DoA.
7. Each page of Bank Guarantee shall bear signature and seal of the Bank and B.G. number.
8. All corrections, deletions etc. in the Bank Guarantee should be authenticated by signature of Bank Officials signing the Bank Guarantee.
9. Bank should separately send through registered post/courier a certified copy of Bank Guarantee, mentioning Bid reference, Bid title and bidder name, directly to the Purchaser at the following address:

   The Commissioner,
   Department of Agriculture,
   Pant Krishi Bhawan, Jaipur-302005 (Raj).

Annexure - A

Notified Base Coverage and Add-On Coverage

S.No.	Notified Scheme	District Name	Crop Name	Notified Coverage	Add-On Cover 1	Add-On Cover 2	TY Calculation Method
1	PMFBY	Ajmer	All Notified Crops As Per Annexure- B	Basic Cover	PSPPG	PHL	FTY
2	PMFBY	Alwar		Basic Cover	PSPPG	PHL	FTY
3	PMFBY	Balotra		Basic Cover	PSPPG	PHL	FTY
4	PMFBY	Banswara		Basic Cover	PSPPG	PHL	FTY
5	PMFBY	Baran		Basic Cover	PSPPG	PHL	FTY
6	PMFBY	Barmer		Basic Cover	PSPPG	PHL	FTY
7	PMFBY	Beawar		Basic Cover	PSPPG	PHL	FTY
8	PMFBY	Bharatpur		Basic Cover	PSPPG	PHL	FTY
9	PMFBY	Bhilwara		Basic Cover	PSPPG	PHL	FTY
10	PMFBY	Bikaner		Basic Cover	PSPPG	PHL	FTY
11	PMFBY	Bundi		Basic Cover	PSPPG	PHL	FTY
12	PMFBY	Chittorgarh		Basic Cover	PSPPG	PHL	FTY
13	PMFBY	Churu		Basic Cover	PSPPG	PHL	FTY
14	PMFBY	Dausa		Basic Cover	PSPPG	PHL	FTY
15	PMFBY	Deeg		Basic Cover	PSPPG	PHL	FTY
16	PMFBY	Dholpur		Basic Cover	PSPPG	PHL	FTY
17	PMFBY	Didwana-Kuchaman		Basic Cover	PSPPG	PHL	FTY
18	PMFBY	Dungarpur		Basic Cover	PSPPG	PHL	FTY
19	PMFBY	Hanumangarh		Basic Cover	PSPPG	PHL	FTY
20	PMFBY	Jaipur		Basic Cover	PSPPG	PHL	FTY
21	PMFBY	Jaisalmer		Basic Cover	PSPPG	PHL	FTY
22	PMFBY	Jalore		Basic Cover	PSPPG	PHL	FTY
23	PMFBY	Jhalawar		Basic Cover	PSPPG	PHL	FTY
24	PMFBY	Jhunjhunu		Basic Cover	PSPPG	PHL	FTY
25	PMFBY	Jodhpur		Basic Cover	PSPPG	PHL	FTY
26	PMFBY	Karauli		Basic Cover	PSPPG	PHL	FTY
27	PMFBY	Khairthal-Tijara		Basic Cover	PSPPG	PHL	FTY
28	PMFBY	Kota		Basic Cover	PSPPG	PHL	FTY
29	PMFBY	Kotputli-Behror		Basic Cover	PSPPG	PHL	FTY
30	PMFBY	Nagaur		Basic Cover	PSPPG	PHL	FTY
31	PMFBY	Pali		Basic Cover	PSPPG	PHL	FTY
32	PMFBY	Phalodi		Basic Cover	PSPPG	PHL	FTY
33	PMFBY	Pratapgarh		Basic Cover	PSPPG	PHL	FTY
34	PMFBY	Rajsamand		Basic Cover	PSPPG	PHL	FTY
35	PMFBY	Salumbar		Basic Cover	PSPPG	PHL	FTY
36	PMFBY	Sawai Madhopur		Basic Cover	PSPPG	PHL	FTY
37	PMFBY	Sikar		Basic Cover	PSPPG	PHL	FTY
38	PMFBY	Sirohi		Basic Cover	PSPPG	PHL	FTY
39	PMFBY	Sri Ganganagar		Basic Cover	PSPPG	PHL	FTY
40	PMFBY	Tonk		Basic Cover	PSPPG	PHL	FTY
41	PMFBY	Udaipur		Basic Cover	PSPPG	PHL	FTY

Add-On Cover 1: PSPPG - Preventive/ Failed Sowing and Preventing Planting/Germination

Add-On Cover 2 : PHL - Post Harvest Losses

TY Calculation Method: FTY- Fixed Threshold Yield

Annexure-B

Name of Scheme-Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna
Indeminity Level is 80% for Kharif and Rabi (All Clusters)

insurance Unit: Patwar Halka/Teshil

S.No.	Season	District Name	CROP	Sum Insured (Rs. Per hac.)	3 Year Average of sown Area (in Ha.)
1	Kharif	Ajmer	Black Gram (Urad)	39087	28048
2	Kharif	Ajmer	Cotton (Kapas)	172265	5016
3	Kharif	Ajmer	Green Gram (Moong)	52577	115135
4	Kharif	Ajmer	Groundnut (Pea Nut)	105700	1592
5	Kharif	Ajmer	Guar	44475	11003
6	Kharif	Ajmer	Maize (Makka)	37364	8537
7	Kharif	Ajmer	Pearl Millet (Bajra)	45473	54654
8	Kharif	Ajmer	Sesame (Gingelly/Til)/Sesamum	36927	5072
9	Kharif	Ajmer	Sorghum (Jowar/Great Millet)	30089	127165
10	Kharif	Alwar	Cotton (Kapas)	106332	21068
11	Kharif	Alwar	Pearl Millet (Bajra)	62123	152106
12	Kharif	Alwar	Sorghum (Jowar/Great Millet)	40085	14372
13	Kharif	Balotra	Green Gram (Moong)	32136	54503
14	Kharif	Balotra	Groundnut (Pea Nut)	156747	2968
15	Kharif	Balotra	Guar	18766	37738
16	Kharif	Balotra	Moth Bean (Kidney Bean/ Deww Gram)	18297	107038
17	Kharif	Balotra	Pearl Millet (Bajra)	18617	346763
18	Kharif	Balotra	Sesame (Gingelly/Til)/Sesamum	18369	5660
19	Kharif	Balotra	Sorghum (Jowar/Great Millet)	16701	2309
20	Kharif	Banswara	Cotton (Kapas)	175669	12309
21	Kharif	Banswara	Maize (Makka)	44909	107101
22	Kharif	Banswara	Paddy (Dhan)	36891	24662
23	Kharif	Banswara	Pigeon Pea (Red Gram/Arhar/Tur)	130739	1977
24	Kharif	Banswara	Soybean (Bhat)	66320	72458
25	Kharif	Baran	Black Gram (Urad)	37764	14868
26	Kharif	Baran	Maize (Makka)	66237	43597
27	Kharif	Baran	Paddy (Dhan)	96109	32606
28	Kharif	Baran	Pearl Millet (Bajra)	46425	619
29	Kharif	Baran	Soybean (Bhat)	59910	233511
30	Kharif	Barmer	Green Gram (Moong)	32143	9699
31	Kharif	Barmer	Groundnut (Pea Nut)	156241	2641
32	Kharif	Barmer	Guar	23804	229362
33	Kharif	Barmer	Moth Bean (Kidney Bean/ Deww Gram)	31724	92191
34	Kharif	Barmer	Pearl Millet (Bajra)	21068	667790
35	Kharif	Beawar	Black Gram (Urad)	55377	1245
36	Kharif	Beawar	Cotton (Kapas)	138455	5884
37	Kharif	Beawar	Green Gram (Moong)	56293	63221
38	Kharif	Beawar	Guar	38812	16595
39	Kharif	Beawar	Maize (Makka)	45947	13637
40	Kharif	Beawar	Pearl Millet (Bajra)	38453	22822
41	Kharif	Beawar	Sesame (Gingelly/Til)/Sesamum	42568	6163
42	Kharif	Beawar	Sorghum (Jowar/Great Millet)	32830	43880
43	Kharif	Bharatpur	Pearl Millet (Bajra)	58811	134707
44	Kharif	Bharatpur	Sorghum (Jowar/Great Millet)	31759	6109
45	Kharif	Bhilwara	Black Gram (Urad)	31713	60159
46	Kharif	Bhilwara	Cotton (Kapas)	128103	29059
47	Kharif	Bhilwara	Green Gram (Moong)	35797	10236
48	Kharif	Bhilwara	Groundnut (Pea Nut)	96968	18741
49	Kharif	Bhilwara	Guar	45324	2673
50	Kharif	Bhilwara	Maize (Makka)	61248	199684
51	Kharif	Bhilwara	Paddy (Dhan)	76275	1062
52	Kharif	Bhilwara	Pearl Millet (Bajra)	45100	2418
53	Kharif	Bhilwara	Sesame (Gingelly/Til)/Sesamum	27341	3790
54	Kharif	Bhilwara	Sorghum (Jowar/Great Millet)	57983	71814
55	Kharif	Bhilwara	Soybean (Bhat)	71914	5030
56	Kharif	Bikaner	Cotton (Kapas)	114402	49031

S.No.	Season	District Name	CROP	Sum Insured (Rs. Per hac.)	3 Year Average of sown Area (in Ha.)
57	Kharif	Bikaner	Green Gram (Moong)	46990	44466
58	Kharif	Bikaner	Groundnut (Pea Nut)	184126	290476
59	Kharif	Bikaner	Guar	23166	720977
60	Kharif	Bikaner	Moth Bean (Kidney Bean/ Deww Gram)	16749	375110
61	Kharif	Bikaner	Pearl Millet (Bajra)	13167	115715
62	Kharif	Bikaner	Sesame (Gingelly/Til)/Sesamum	22256	8272
63	Kharif	Bikaner	Sorghum (Jowar/Great Millet)	34423	2001
64	Kharif	Bundi	Black Gram (Urad)	32955	80114
65	Kharif	Bundi	Maize (Makka)	87900	31999
66	Kharif	Bundi	Paddy (Dhan)	103204	90657
67	Kharif	Bundi	Pearl Millet (Bajra)	42178	633
68	Kharif	Bundi	Soybean (Bhat)	60767	41158
69	Kharif	Chittorgarh	Black Gram (Urad)	40162	3907
70	Kharif	Chittorgarh	Cotton (Kapas)	147134	4058
71	Kharif	Chittorgarh	Groundnut (Pea Nut)	137806	35274
72	Kharif	Chittorgarh	Maize (Makka)	77790	163656
73	Kharif	Chittorgarh	Paddy (Dhan)	67875	1551
74	Kharif	Chittorgarh	Sorghum (Jowar/Great Millet)	67613	20124
75	Kharif	Chittorgarh	Soybean (Bhat)	52670	93988
76	Kharif	Churu	Cotton (Kapas)	109390	18201
77	Kharif	Churu	Cowpea	32621	7701
78	Kharif	Churu	Green Gram (Moong)	40495	355940
79	Kharif	Churu	Groundnut (Pea Nut)	189562	82660
80	Kharif	Churu	Guar	25440	213568
81	Kharif	Churu	Moth Bean (Kidney Bean/ Deww Gram)	16272	210831
82	Kharif	Churu	Pearl Millet (Bajra)	25171	204802
83	Kharif	Churu	Sesame (Gingelly/Til)/Sesamum	25952	1953
84	Kharif	Dausa	Groundnut (Pea Nut)	146319	15342
85	Kharif	Dausa	Guar	58696	2206
86	Kharif	Dausa	Pearl Millet (Bajra)	56887	163756
87	Kharif	Dausa	Sesame (Gingelly/Til)/Sesamum	53529	3249
88	Kharif	Dausa	Sorghum (Jowar/Great Millet)	44167	2283
89	Kharif	Deeg	Cotton (Kapas)	157775	4755
90	Kharif	Deeg	Paddy (Dhan)	98661	2168
91	Kharif	Deeg	Pearl Millet (Bajra)	59247	52298
92	Kharif	Deeg	Sorghum (Jowar/Great Millet)	43079	44967
93	Kharif	Dholpur	Pearl Millet (Bajra)	63195	93641
94	Kharif	Dholpur	Sesame (Gingelly/Til)/Sesamum	47499	544
95	Kharif	Didwana-Kuchaman	Cotton (Kapas)	133346	2600
96	Kharif	Didwana-Kuchaman	Green Gram (Moong)	53336	192597
97	Kharif	Didwana-Kuchaman	Groundnut (Pea Nut)	155481	20457
98	Kharif	Didwana-Kuchaman	Guar	33765	53622
99	Kharif	Didwana-Kuchaman	Moth Bean (Kidney Bean/ Deww Gram)	22723	770
100	Kharif	Didwana-Kuchaman	Pearl Millet (Bajra)	31175	156577
101	Kharif	Didwana-Kuchaman	Sorghum (Jowar/Great Millet)	28763	2510
102	Kharif	Dungarpur	Black Gram (Urad)	42541	1315
103	Kharif	Dungarpur	Maize (Makka)	33479	49629
104	Kharif	Dungarpur	Paddy (Dhan)	39655	13858
105	Kharif	Dungarpur	Soybean (Bhat)	59751	41700
106	Kharif	Hanumangarh	Cotton (Kapas)	138602	198693
107	Kharif	Hanumangarh	Green Gram (Moong)	50250	72229
108	Kharif	Hanumangarh	Groundnut (Pea Nut)	150535	14620
109	Kharif	Hanumangarh	Guar	35092	380458
110	Kharif	Hanumangarh	Moth Bean (Kidney Bean/ Deww Gram)	13814	38493
111	Kharif	Hanumangarh	Paddy (Dhan)	129093	45415
112	Kharif	Hanumangarh	Pearl Millet (Bajra)	38262	29792
113	Kharif	Jaipur	Cowpea	37390	1278
114	Kharif	Jaipur	Green Gram (Moong)	49159	107680
115	Kharif	Jaipur	Groundnut (Pea Nut)	154506	41076
116	Kharif	Jaipur	Guar	57207	59552

S.No.	Season	District Name	CROP	Sum Insured (Rs. Per hac.)	3 Year Average of sown Area (in Ha.)
117	Kharif	Jaipur	Pearl Millet (Bajra)	48584	246559
118	Kharif	Jaipur	Sorghum (Jowar/Great Millet)	35817	31528
119	Kharif	Jaisalmer	Green Gram (Moong)	30041	51812
120	Kharif	Jaisalmer	Groundnut (Pea Nut)	127897	53009
121	Kharif	Jaisalmer	Guar	13610	529577
122	Kharif	Jaisalmer	Moth Bean (Kidney Bean/ Deww Gram)	18157	25189
123	Kharif	Jaisalmer	Pearl Millet (Bajra)	9210	149036
124	Kharif	Jaisalmer	Sesame (Gingelly/Til)/Sesamum	24351	1850
125	Kharif	Jaisalmer	Sorghum (Jowar/Great Millet)	27566	1150
126	Kharif	Jalore	Cotton (Kapas)	209322	964
127	Kharif	Jalore	Green Gram (Moong)	42033	99980
128	Kharif	Jalore	Groundnut (Pea Nut)	192967	40558
129	Kharif	Jalore	Guar	29029	30573
130	Kharif	Jalore	Pearl Millet (Bajra)	28942	325919
131	Kharif	Jalore	Sesame (Gingelly/Til)/Sesamum	38460	10049
132	Kharif	Jalore	Sorghum (Jowar/Great Millet)	26269	3151
133	Kharif	Jhalawar	Black Gram (Urad)	37707	4203
134	Kharif	Jhalawar	Maize (Makka)	57991	36851
135	Kharif	Jhalawar	Paddy (Dhan)	85540	8534
136	Kharif	Jhalawar	Soybean (Bhat)	52889	284185
137	Kharif	Jhunjhunu	Cotton (Kapas)	128042	19723
138	Kharif	Jhunjhunu	Cowpea	40394	22635
139	Kharif	Jhunjhunu	Green Gram (Moong)	60151	50323
140	Kharif	Jhunjhunu	Groundnut (Pea Nut)	152947	15984
141	Kharif	Jhunjhunu	Guar	47484	55225
142	Kharif	Jhunjhunu	Pearl Millet (Bajra)	36937	191948
143	Kharif	Jodhpur	Cotton (Kapas)	136413	42129
144	Kharif	Jodhpur	Green Gram (Moong)	54792	245415
145	Kharif	Jodhpur	Groundnut (Pea Nut)	175570	59186
146	Kharif	Jodhpur	Guar	38246	34868
147	Kharif	Jodhpur	Moth Bean (Kidney Bean/ Deww Gram)	25297	28198
148	Kharif	Jodhpur	Pearl Millet (Bajra)	27212	273711
149	Kharif	Jodhpur	Sesame (Gingelly/Til)/Sesamum	39074	14928
150	Kharif	Jodhpur	Sorghum (Jowar/Great Millet)	26934	34776
151	Kharif	Karauli	Paddy (Dhan)	65645	664
152	Kharif	Karauli	Pearl Millet (Bajra)	61974	145709
153	Kharif	Karauli	Sesame (Gingelly/Til)/Sesamum	50491	12861
154	Kharif	Khairthal-Tijara	Cotton (Kapas)	118113	19660
155	Kharif	Khairthal-Tijara	Pearl Millet (Bajra)	67458	84159
156	Kharif	Kota	Black Gram (Urad)	39545	22744
157	Kharif	Kota	Maize (Makka)	56920	2061
158	Kharif	Kota	Paddy (Dhan)	106578	41147
159	Kharif	Kota	Soybean (Bhat)	63839	190472
160	Kharif	Kotputli-Behror	Cotton (Kapas)	116394	6399
161	Kharif	Kotputli-Behror	Guar	78056	510
162	Kharif	Kotputli-Behror	Pearl Millet (Bajra)	65868	137783
163	Kharif	Nagaur	Cotton (Kapas)	113858	74701
164	Kharif	Nagaur	Green Gram (Moong)	53885	428314
165	Kharif	Nagaur	Groundnut (Pea Nut)	163433	16199
166	Kharif	Nagaur	Guar	36031	101618
167	Kharif	Nagaur	Moth Bean (Kidney Bean/ Deww Gram)	19007	30286
168	Kharif	Nagaur	Pearl Millet (Bajra)	32527	145141
169	Kharif	Nagaur	Sesame (Gingelly/Til)/Sesamum	31470	1776
170	Kharif	Nagaur	Sorghum (Jowar/Great Millet)	25331	25880
171	Kharif	Pali	Black Gram (Urad)	36832	587
172	Kharif	Pali	Cotton (Kapas)	149027	13129
173	Kharif	Pali	Green Gram (Moong)	40306	184952
174	Kharif	Pali	Guar	27306	15316
175	Kharif	Pali	Maize (Makka)	31996	8565
176	Kharif	Pali	Pearl Millet (Bajra)	17796	12381

S.No.	Season	District Name	CROP	Sum Insured (Rs. Per hac.)	3 Year Average of sown Area (in Ha.)
177	Kharif	Pali	Sesame (Gingelly/Til)/Sesamum	33549	53229
178	Kharif	Pali	Sorghum (Jowar/Great Millet)	18888	57434
179	Kharif	Phalodi	Cotton (Kapas)	114542	54677
180	Kharif	Phalodi	Green Gram (Moong)	59667	26037
181	Kharif	Phalodi	Groundnut (Pea Nut)	178773	117226
182	Kharif	Phalodi	Guar	40122	137343
183	Kharif	Phalodi	Moth Bean (Kidney Bean/ Deww Gram)	25745	26864
184	Kharif	Phalodi	Pearl Millet (Bajra)	24887	171219
185	Kharif	Phalodi	Sesame (Gingelly/Til)/Sesamum	37544	5300
186	Kharif	Phalodi	Sorghum (Jowar/Great Millet)	18880	503
187	Kharif	Pratapgarh	Cotton (Kapas)	54669	1163
188	Kharif	Pratapgarh	Groundnut (Pea Nut)	168069	5978
189	Kharif	Pratapgarh	Maize (Makka)	57198	48179
190	Kharif	Pratapgarh	Soybean (Bhat)	64314	127792
191	Kharif	Rajsamand	Cotton (Kapas)	176872	1374
192	Kharif	Rajsamand	Maize (Makka)	51343	63149
193	Kharif	Rajsamand	Pearl Millet (Bajra)	33755	502
194	Kharif	Rajsamand	Sorghum (Jowar/Great Millet)	76651	3295
195	Kharif	Salumbar	Black Gram (Urad)	51336	631
196	Kharif	Salumbar	Guar	56352	563
197	Kharif	Salumbar	Maize (Makka)	49357	33469
198	Kharif	Salumbar	Soybean (Bhat)	70062	17436
199	Kharif	Sawai Madhopur	Black Gram (Urad)	42482	26783
200	Kharif	Sawai Madhopur	Groundnut (Pea Nut)	108233	2525
201	Kharif	Sawai Madhopur	Paddy (Dhan)	96884	5642
202	Kharif	Sawai Madhopur	Pearl Millet (Bajra)	53211	72718
203	Kharif	Sawai Madhopur	Sesame (Gingelly/Til)/Sesamum	44341	27453
204	Kharif	Sawai Madhopur	Sorghum (Jowar/Great Millet)	33535	1166
205	Kharif	Sawai Madhopur	Soybean (Bhat)	81364	2029
206	Kharif	Sikar	Cowpea	37807	13439
207	Kharif	Sikar	Green Gram (Moong)	56925	49060
208	Kharif	Sikar	Groundnut (Pea Nut)	172897	31347
209	Kharif	Sikar	Guar	40487	105240
210	Kharif	Sikar	Pearl Millet (Bajra)	33361	250736
211	Kharif	Sirohi	Black Gram (Urad)	44188	3836
212	Kharif	Sirohi	Cotton (Kapas)	136598	1809
213	Kharif	Sirohi	Green Gram (Moong)	45978	3348
214	Kharif	Sirohi	Groundnut (Pea Nut)	176604	24073
215	Kharif	Sirohi	Guar	33554	8587
216	Kharif	Sirohi	Maize (Makka)	56084	13596
217	Kharif	Sirohi	Pearl Millet (Bajra)	30164	5601
218	Kharif	Sirohi	Sesame (Gingelly/Til)/Sesamum	34641	11262
219	Kharif	Sirohi	Sorghum (Jowar/Great Millet)	32986	1947
220	Kharif	Sri Ganganagar	Cotton (Kapas)	169990	224810
221	Kharif	Sri Ganganagar	Green Gram (Moong)	66111	134104
222	Kharif	Sri Ganganagar	Groundnut (Pea Nut)	154724	2786
223	Kharif	Sri Ganganagar	Guar	41578	246538
224	Kharif	Sri Ganganagar	Moth Bean (Kidney Bean/ Deww Gram)	22697	2392
225	Kharif	Sri Ganganagar	Paddy (Dhan)	115181	10020
226	Kharif	Sri Ganganagar	Pearl Millet (Bajra)	49856	7570
227	Kharif	Tonk	Black Gram (Urad)	46833	64596
228	Kharif	Tonk	Green Gram (Moong)	49082	69583
229	Kharif	Tonk	Groundnut (Pea Nut)	100877	20010
230	Kharif	Tonk	Guar	53585	687
231	Kharif	Tonk	Maize (Makka)	40483	4496
232	Kharif	Tonk	Pearl Millet (Bajra)	45282	54698
233	Kharif	Tonk	Sesame (Gingelly/Til)/Sesamum	44119	4556
234	Kharif	Tonk	Sorghum (Jowar/Great Millet)	34669	83521
235	Kharif	Udaipur	Black Gram (Urad)	62440	528
236	Kharif	Udaipur	Cotton (Kapas)	48766	2288

S.No.	Season	District Name	CROP	Sum Insured (Rs. Per hac.)	3 Year Average of sown Area (in Ha.)
237	Kharif	Udaipur	Groundnut (Pea Nut)	129300	626
238	Kharif	Udaipur	Maize (Makka)	45770	112470
239	Kharif	Udaipur	Paddy (Dhan)	39057	2693
240	Kharif	Udaipur	Pigeon Pea (Red Gram/Arhar/Tur)	78366	943
241	Kharif	Udaipur	Sorghum (Jowar/Great Millet)	36058	4969
242	Kharif	Udaipur	Soybean (Bhat)	61652	24556
243	Rabi	Ajmer	Barley (Jau)	67087	20670
244	Rabi	Ajmer	Bengal Gram (Chana)	69346	157778
245	Rabi	Ajmer	Cumin	134958	4521
246	Rabi	Ajmer	Isabgol	65498	566
247	Rabi	Ajmer	Mustard	96204	67069
248	Rabi	Ajmer	Rocket Salad (Taramira)	44667	1190
249	Rabi	Ajmer	Wheat	91445	53189
250	Rabi	Alwar	Bengal Gram (Chana)	101787	4875
251	Rabi	Alwar	Mustard	131718	142322
252	Rabi	Alwar	Wheat	122768	88078
253	Rabi	Balotra	Cumin	89741	21342
254	Rabi	Balotra	Isabgol	63911	12085
255	Rabi	Balotra	Mustard	68420	8756
256	Rabi	Balotra	Rocket Salad (Taramira)	31229	763
257	Rabi	Balotra	Wheat	48908	8377
258	Rabi	Banswara	Bengal Gram (Chana)	69901	16449
259	Rabi	Banswara	Maize (Makka) - Rabi	88628	21341
260	Rabi	Banswara	Wheat	64887	125215
261	Rabi	Baran	Bengal Gram (Chana)	115718	28502
262	Rabi	Baran	Coriander	112491	8159
263	Rabi	Baran	Mustard	116103	119978
264	Rabi	Baran	Wheat	121246	153883
265	Rabi	Barmer	Cumin	85973	220864
266	Rabi	Barmer	Isabgol	58180	148494
267	Rabi	Barmer	Mustard	70575	18870
268	Rabi	Barmer	Wheat	49256	2064
269	Rabi	Beawar	Barley (Jau)	66492	8904
270	Rabi	Beawar	Bengal Gram (Chana)	77427	17022
271	Rabi	Beawar	Cumin	144563	8872
272	Rabi	Beawar	Isabgol	85306	1517
273	Rabi	Beawar	Mustard	95085	12540
274	Rabi	Beawar	Rocket Salad (Taramira)	26742	3357
275	Rabi	Beawar	Wheat	90738	33849
276	Rabi	Bharatpur	Mustard	126670	147120
277	Rabi	Bharatpur	Wheat	119755	60717
278	Rabi	Bhilwara	Barley (Jau)	69598	26218
279	Rabi	Bhilwara	Bengal Gram (Chana)	88498	101825
280	Rabi	Bhilwara	Lentil (Masur)	89434	1976
281	Rabi	Bhilwara	Mustard	96505	71563
282	Rabi	Bhilwara	Wheat	101731	155658
283	Rabi	Bikaner	Barley (Jau)	58840	9531
284	Rabi	Bikaner	Bengal Gram (Chana)	55697	109061
285	Rabi	Bikaner	Cumin	95610	40397
286	Rabi	Bikaner	Isabgol	61284	79682
287	Rabi	Bikaner	Methi (Fenugreek)	53148	21038
288	Rabi	Bikaner	Mustard	79052	330255
289	Rabi	Bikaner	Rocket Salad (Taramira)	31239	1340
290	Rabi	Bikaner	Wheat	69398	129910
291	Rabi	Bundi	Barley (Jau)	82223	653
292	Rabi	Bundi	Bengal Gram (Chana)	101480	25064
293	Rabi	Bundi	Lentil (Masur)	96991	682
294	Rabi	Bundi	Mustard	111832	73441
295	Rabi	Bundi	Wheat	121336	157551
296	Rabi	Chittorgarh	Barley (Jau)	76799	7932

S.No.	Season	District Name	CROP	Sum Insured (Rs. Per hac.)	3 Year Average of sown Area (in Ha.)
297	Rabi	Chittorgarh	Bengal Gram (Chana)	105439	95666
298	Rabi	Chittorgarh	Coriander	107604	3541
299	Rabi	Chittorgarh	Isabgol	90750	1194
300	Rabi	Chittorgarh	Methi (Fenugreek)	75969	913
301	Rabi	Chittorgarh	Mustard	109769	51102
302	Rabi	Chittorgarh	Rocket Salad (Taramira)	31281	1062
303	Rabi	Chittorgarh	Wheat	114178	150123
304	Rabi	Churu	Barley (Jau)	56153	10027
305	Rabi	Churu	Bengal Gram (Chana)	49970	252782
306	Rabi	Churu	Cumin	69741	1904
307	Rabi	Churu	Isabgol	72114	30795
308	Rabi	Churu	Methi (Fenugreek)	59292	8339
309	Rabi	Churu	Mustard	83163	201316
310	Rabi	Churu	Rocket Salad (Taramira)	35729	2936
311	Rabi	Churu	Wheat	71581	48409
312	Rabi	Dausa	Barley (Jau)	77351	2572
313	Rabi	Dausa	Bengal Gram (Chana)	93403	30650
314	Rabi	Dausa	Mustard	116693	79959
315	Rabi	Dausa	Rocket Salad (Taramira)	33237	1392
316	Rabi	Dausa	Wheat	112773	78456
317	Rabi	Deeg	Mustard	130144	119062
318	Rabi	Deeg	Wheat	119139	62871
319	Rabi	Dholpur	Mustard	136889	85930
320	Rabi	Dholpur	Wheat	118728	58189
321	Rabi	Didwana-Kuchaman	Barley (Jau)	60811	7503
322	Rabi	Didwana-Kuchaman	Bengal Gram (Chana)	71777	10746
323	Rabi	Didwana-Kuchaman	Cumin	131905	5604
324	Rabi	Didwana-Kuchaman	Isabgol	91638	36148
325	Rabi	Didwana-Kuchaman	Methi (Fenugreek)	56681	579
326	Rabi	Didwana-Kuchaman	Mustard	74586	24150
327	Rabi	Didwana-Kuchaman	Rocket Salad (Taramira)	35169	1113
328	Rabi	Didwana-Kuchaman	Wheat	70768	30667
329	Rabi	Dungarpur	Bengal Gram (Chana)	79059	14562
330	Rabi	Dungarpur	Wheat	59699	71098
331	Rabi	Hanumangarh	Barley (Jau)	80735	19992
332	Rabi	Hanumangarh	Bengal Gram (Chana)	64038	137117
333	Rabi	Hanumangarh	Mustard	105056	227896
334	Rabi	Hanumangarh	Rocket Salad (Taramira)	22352	6491
335	Rabi	Hanumangarh	Wheat	116097	248985
336	Rabi	Jaipur	Barley (Jau)	75129	48033
337	Rabi	Jaipur	Bengal Gram (Chana)	78797	121213
338	Rabi	Jaipur	Mustard	85421	122554
339	Rabi	Jaipur	Rocket Salad (Taramira)	36491	12870
340	Rabi	Jaipur	Wheat	93662	122019
341	Rabi	Jaisalmer	Bengal Gram (Chana)	58451	127021
342	Rabi	Jaisalmer	Cumin	97678	139431
343	Rabi	Jaisalmer	Isabgol	59504	73488
344	Rabi	Jaisalmer	Mustard	76718	83563
345	Rabi	Jaisalmer	Rocket Salad (Taramira)	30943	8993
346	Rabi	Jaisalmer	Wheat	44818	6968
347	Rabi	Jalore	Bengal Gram (Chana)	64606	12272
348	Rabi	Jalore	Cumin	96037	144132
349	Rabi	Jalore	Isabgol	76290	67880
350	Rabi	Jalore	Methi (Fenugreek)	62867	503
351	Rabi	Jalore	Mustard	89256	111445
352	Rabi	Jalore	Rocket Salad (Taramira)	38418	6199
353	Rabi	Jalore	Wheat	63785	43808
354	Rabi	Jhalawar	Bengal Gram (Chana)	99063	39243
355	Rabi	Jhalawar	Coriander	87755	43713
356	Rabi	Jhalawar	Lentil (Masur)	103705	8221

S.No.	Season	District Name	CROP	Sum Insured (Rs. Per hac.)	3 Year Average of sown Area (in Ha.)
357	Rabi	Jhalawar	Methi (Fenugreek)	65589	2101
358	Rabi	Jhalawar	Mustard	104262	63973
359	Rabi	Jhalawar	Wheat	110065	148502
360	Rabi	Jhunjhunu	Barley (Jau)	71190	6875
361	Rabi	Jhunjhunu	Bengal Gram (Chana)	74149	59877
362	Rabi	Jhunjhunu	Lentil (Masur)	102886	4821
363	Rabi	Jhunjhunu	Methi (Fenugreek)	58304	1782
364	Rabi	Jhunjhunu	Mustard	92398	150420
365	Rabi	Jhunjhunu	Rocket Salad (Taramira)	37774	3852
366	Rabi	Jhunjhunu	Wheat	97734	71468
367	Rabi	Jodhpur	Bengal Gram (Chana)	60490	13838
368	Rabi	Jodhpur	Cumin	128830	99490
369	Rabi	Jodhpur	Isabgol	77254	14558
370	Rabi	Jodhpur	Methi (Fenugreek)	58741	4081
371	Rabi	Jodhpur	Mustard	84235	85430
372	Rabi	Jodhpur	Rocket Salad (Taramira)	37953	3884
373	Rabi	Jodhpur	Wheat	66449	48846
374	Rabi	Karauli	Bengal Gram (Chana)	100932	5265
375	Rabi	Karauli	Mustard	127297	106430
376	Rabi	Karauli	Rocket Salad (Taramira)	31239	557
377	Rabi	Karauli	Wheat	112529	78269
378	Rabi	Khairthal-Tijara	Barley (Jau)	110501	672
379	Rabi	Khairthal-Tijara	Bengal Gram (Chana)	95231	645
380	Rabi	Khairthal-Tijara	Mustard	138415	86729
381	Rabi	Khairthal-Tijara	Wheat	127684	43918
382	Rabi	Kota	Bengal Gram (Chana)	109597	42612
383	Rabi	Kota	Coriander	124347	15256
384	Rabi	Kota	Methi (Fenugreek)	89565	2229
385	Rabi	Kota	Mustard	116125	69446
386	Rabi	Kota	Wheat	115812	129266
387	Rabi	Kotputli-Behror	Barley (Jau)	93108	1318
388	Rabi	Kotputli-Behror	Bengal Gram (Chana)	90072	2624
389	Rabi	Kotputli-Behror	Mustard	130069	108829
390	Rabi	Kotputli-Behror	Rocket Salad (Taramira)	38427	979
391	Rabi	Kotputli-Behror	Wheat	121117	42654
392	Rabi	Nagaur	Barley (Jau)	61152	754
393	Rabi	Nagaur	Bengal Gram (Chana)	66590	24919
394	Rabi	Nagaur	Cumin	131631	85079
395	Rabi	Nagaur	Isabgol	94363	54301
396	Rabi	Nagaur	Methi (Fenugreek)	65540	3212
397	Rabi	Nagaur	Mustard	78488	60673
398	Rabi	Nagaur	Rocket Salad (Taramira)	33517	17937
399	Rabi	Nagaur	Wheat	77757	23428
400	Rabi	Pali	Barley (Jau)	65057	3063
401	Rabi	Pali	Bengal Gram (Chana)	77851	89005
402	Rabi	Pali	Cumin	108447	3368
403	Rabi	Pali	Isabgol	85662	1639
404	Rabi	Pali	Methi (Fenugreek)	61518	2096
405	Rabi	Pali	Mustard	77849	73682
406	Rabi	Pali	Rocket Salad (Taramira)	37062	21032
407	Rabi	Pali	Wheat	73586	75876
408	Rabi	Phalodi	Bengal Gram (Chana)	70432	24026
409	Rabi	Phalodi	Cumin	122370	140608
410	Rabi	Phalodi	Isabgol	75849	44048
411	Rabi	Phalodi	Methi (Fenugreek)	59721	11094
412	Rabi	Phalodi	Mustard	80706	110074
413	Rabi	Phalodi	Wheat	59602	27345
414	Rabi	Pratapgarh	Barley (Jau)	88050	748
415	Rabi	Pratapgarh	Bengal Gram (Chana)	88644	24110
416	Rabi	Pratapgarh	Lentil (Masur)	93811	3980

S.No.	Season	District Name	CROP	Sum Insured (Rs. Per hac.)	3 Year Average of sown Area (in Ha.)
417	Rabi	Pratapgarh	Maize (Makka) - Rabi	53674	1095
418	Rabi	Pratapgarh	Methi (Fenugreek)	74669	6899
419	Rabi	Pratapgarh	Mustard	111045	15995
420	Rabi	Pratapgarh	Wheat	100507	102309
421	Rabi	Rajsamand	Barley (Jau)	65702	6083
422	Rabi	Rajsamand	Bengal Gram (Chana)	92471	8309
423	Rabi	Rajsamand	Mustard	80149	1478
424	Rabi	Rajsamand	Wheat	89531	43454
425	Rabi	Salumbar	Barley (Jau)	48822	564
426	Rabi	Salumbar	Bengal Gram (Chana)	89225	5434
427	Rabi	Salumbar	Wheat	76369	38390
428	Rabi	Sawai Madhopur	Bengal Gram (Chana)	111755	20670
429	Rabi	Sawai Madhopur	Mustard	112999	173934
430	Rabi	Sawai Madhopur	Wheat	108734	70244
431	Rabi	Sikar	Barley (Jau)	78686	30185
432	Rabi	Sikar	Bengal Gram (Chana)	71810	42093
433	Rabi	Sikar	Isabgol	89250	3279
434	Rabi	Sikar	Methi (Fenugreek)	70085	3190
435	Rabi	Sikar	Mustard	89396	87868
436	Rabi	Sikar	Rocket Salad (Taramira)	33539	20318
437	Rabi	Sikar	Wheat	91919	90400
438	Rabi	Sirohi	Bengal Gram (Chana)	59249	3874
439	Rabi	Sirohi	Cumin	119451	8003
440	Rabi	Sirohi	Isabgol	65389	641
441	Rabi	Sirohi	Mustard	78151	28459
442	Rabi	Sirohi	Wheat	82068	38684
443	Rabi	Sri Ganganagar	Barley (Jau)	93451	72101
444	Rabi	Sri Ganganagar	Bengal Gram (Chana)	72220	37035
445	Rabi	Sri Ganganagar	Mustard	115161	325333
446	Rabi	Sri Ganganagar	Rocket Salad (Taramira)	26627	628
447	Rabi	Sri Ganganagar	Wheat	117214	260211
448	Rabi	Tonk	Barley (Jau)	67306	1977
449	Rabi	Tonk	Bengal Gram (Chana)	125777	56624
450	Rabi	Tonk	Mustard	110958	356519
451	Rabi	Tonk	Wheat	100166	50272
452	Rabi	Udaipur	Barley (Jau)	57587	5128
453	Rabi	Udaipur	Bengal Gram (Chana)	88445	18888
454	Rabi	Udaipur	Mustard	61132	13660
455	Rabi	Udaipur	Wheat	73616	92770
		Grand Total		33292197	27234822

Annexure-C

Financial Bid Evaluation Method

Cluster No.	Season	Scheme	District	Crop	Last Season's Insured Area	Sum Insured (Rs/Ha.)	Expected Total Sum insured (Rs.)	Premium (%)	Total Gross Premium (Rs.)
					(X)	(Y)	(Z)	(P)	(TP)
							= X*Y		=Z*P
							= X*Y		=Z*P
							= X*Y		=Z*P
							Gross Total		TP=sum (1:3)

- Weighted Average Premium (WAP) Rate = TP/Z*100
- In case, if crop is not notified in earlier years then, 10% (minor Crops)/ 30% (Major Crop) of average of last 3 Year area sown data will be used as weights as per guideline.
- Following crop were not notified in last tender.

Season	District	Crop	IU Level	Major Crop/Minor Crop
Kharif	Bikaner	Sorghum (Jowar/Great Millet)	Tehsil	Minor Crop
Kharif	Deeg	Paddy (Dhan)	Tehsil	Minor Crop
Kharif	Didwana-Kuchaman	Sorghum (Jowar/Great Millet)	Tehsil	Minor Crop
Kharif	Rajsamand	Pearl Millet (Bajra)	Tehsil	Minor Crop
Kharif	Sawai Madhopur	Sorghum (Jowar/Great Millet)	Tehsil	Minor Crop
Kharif	Udaipur	Groundnut (Pea Nut)	Tehsil	Minor Crop
Rabi	Ajmer	Isabgol	Tehsil	Minor Crop
Rabi	Balotra	Rocket Salad (Taramira)	Tehsil	Minor Crop
Rabi	Chittorgarh	Rocket Salad (Taramira)	Tehsil	Minor Crop
Rabi	Karauli	Rocket Salad (Taramira)	Tehsil	Minor Crop
Rabi	Khairthal-Tijara	Bengal Gram (Chana)	Tehsil	Minor Crop
Rabi	Pratapgarh	Maize (Makka) - Rabi	Tehsil	Minor Crop
Rabi	Sirohi	Isabgol	Tehsil	Minor Crop

Annexure-F

List of Districtwise Irrigated and Un-Irrigated Area

S.No.	District	Gross Sown Area (in Hectare)	Gross Irrigated Area (in Hectares)	Gross Irrigated Area (in Percentage)	Category based on Gross Irrigated Area
1	Ajmer	695807	192462	27.66	Un-Irrigated
2	Alwar	444141	259349	58.39	Irrigated
3	Banswara	397438	166261	41.83	Un-Irrigated
4	Baran	665992	374391	56.22	Irrigated
5	Barmer	1478202	497579	33.66	Un-Irrigated
6	Balotra	575693	80650	14.01	Un-Irrigated
7	Beawar	307369	102828	33.45	Un-Irrigated
8	Bharatpur	384205	203879	53.07	Irrigated
9	Bhilwara	777253	308523	39.69	Un-Irrigated
10	Bikaner	2373830	1223516	51.54	Irrigated
11	Bundi	505482	354801	70.19	Irrigated
12	Chittorgarh	656236	296025	45.11	Un-Irrigated
13	Churu	1530991	464132	30.32	Un-Irrigated
14	Dausa	386085	152998	39.63	Un-Irrigated
15	Didwana-Kuchaman	540362	141792	26.24	Un-Irrigated
16	Deeg	300452	170568	56.77	Irrigated
17	Dholpur	246455	144762	58.74	Irrigated
18	Dungarpur	203779	82978	40.72	Un-Irrigated
19	Phalodi	944824	694968	73.56	Irrigated
20	Sri Ganganagar	1371440	1217168	88.75	Irrigated
21	Hanumangarh	1456895	871906	59.85	Irrigated
22	Jaipur	927971	301269	32.47	Un-Irrigated
23	Jaisalmer	1193349	584958	49.02	Un-Irrigated
24	Jalore	1044403	530378	50.78	Irrigated
25	Jhalawar	685727	358219	52.24	Irrigated
26	Jhunjhunu	620081	290324	46.82	Un-Irrigated
27	Jodhpur	1061159	447904	42.21	Un-Irrigated
28	Karauli	330958	169368	51.18	Irrigated
29	Khairthal-Tijara	249027	163418	65.62	Irrigated
30	Kotputli-Behror	307585	163892	53.28	Irrigated
31	Kota	527441	321476	60.95	Irrigated
32	Nagaur	1150775	365664	31.78	Un-Irrigated
33	Pali	688642	193552	28.11	Un-Irrigated
34	Pratapgarh	370694	183137	49.40	Un-Irrigated
35	Rajsamand	152381	68290	44.82	Un-Irrigated
36	Sawai Madhopur	430659	273884	63.60	Irrigated
37	Salumbar	106369	48424	45.52	Un-Irrigated
38	Sikar	727965	284688	39.11	Un-Irrigated
39	Sirohi	245575	176449	71.85	Irrigated
40	Tonk	830181	418606	50.42	Irrigated
41	Udaipur	299260	117336	39.21	Un-Irrigated

Annexure-G

Rajasthan PMFBY 2026-27 New Cluster

Cluster No.	District
1	Bharatpur, Churu, Dausa, Deeg, Jhalawar, Kota
2	Alwar, Hanumangarh, Khairthal-Tijara, Sirohi, Udaipur
3	Bikaner, Dholpur, Pali, Phalodi, Pratapgarh
4	Ajmer, Jaisalmer, Jalore, Rajsamand, Sawai Madhopur
5	Baran, Bhilwara, Jhunjhunu, Kotputli-Behror, Nagaur
6	Balotra, Banswara, Chittorgarh, Jodhpur, Tonk
7	Barmer, Bundi, Didwana-Kuchaman, Dungarpur, Jaipur
8	Beawar, Karauli, Salumbar, Sikar, Sri Ganganagar

Annexure H

Kharif 2025 Data From NCIP

S.No.	New District Name	Total Application	Total Area Insured	Total Sum Insured	Total Farmer Share	Total State Share
1	Ajmer	763118	141249	6554518585	135098863	405545484
2	Alwar	623790	150373	5155238157	106460749	280674505
3	Balotra	734476	374916	5436345940	108723436	625176515
4	Banswara	347967	30168	1323491594	27008308	30717095
5	Baran	375478	117308	5372210104	107442479	294738916
6	Barmer	839762	642321	7941551663	158827145	913274756
7	Beawar	241803	49687	1758163759	38563117	90347776
8	Bharatpur	622517	34555	1538823622	30773490	33350173
9	Bhilwara	762012	121471	4420922413	95428505	271191323
10	Bikaner	1013572	601147	22998659566	474954098	718624452
11	Bundi	390014	89578	4474291098	89483912	377982946
12	Chittorgarh	866440	116571	6717038541	138191173	178808957
13	Churu	938884	620599	18808599133	379080528	1302496938
14	Dausa	223386	25032	1282092318	26433657	18574435
15	Deeg	623401	32036	1358250544	28014855	32892155
16	Dholpur	73996	7967	427158802	8542770	6436053
17	Didwana-Kuchaman	286163	140943	6126709160	122738994	209481085
18	Dungarpur	348482	20893	794126136	15880773	26878865
19	Hanumangarh	2600118	386566	15070485627	332304363	1033322472
20	Jaipur	1407283	160134	9494765167	189888620	192404135
21	Jaisalmer	133824	269079	6541514823	130829911	270870426
22	Jalore	562147	254790	8664244423	173466371	590093785
23	Jhalawar	707597	138374	5838891596	116774302	378920793
24	Jhunjhunu	664969	150727	6205842556	137264223	210460506
25	Jodhpur	494321	266533	11871778269	243186498	669988545
26	Karauli	138591	15147	744460692	14888619	8478888
27	Khairthal-Tijara	68118	7668	364984722	8955024	4721291
28	Kota	269803	86461	4351691646	87032568	141451832
29	Kotputli-Behror	177623	19776	946765165	20538788	12709731
30	Nagaur	345464	305801	12766635897	264451710	470064157
31	Pali	227007	127071	3731249906	77332253	185605600
32	Phalodi	146432	142436	6453556802	134424815	266314766
33	Pratapgarh	174235	34497	1927213460	38544597	93211123
34	Rajsamand	126963	11615	479339166	11004512	24759234
35	Salumbar	175449	12307	460656269	9212094	23604546
36	Sawai Madhopur	377499	53812	2394499762	47888278	54635322
37	Sikar	614541	166302	8580685221	171610823	166782890
38	Sirohi	59649	19752	946964675	19198060	37337391
39	Sri Ganganagar	1340886	181247	7390249879	180551774	525353339
40	Tonk	651060	156356	7201021124	144017301	353617780
41	Udaipur	179595	17566	628063308	12561090	32969319
	Grand Total	**21718435**	**6300833**	**225543751291**	**4657573445**	**11564870298**

Annexure I

Rabi 2025-26 Data From NCIP

S.No.	New District Name	Total Application	Total Area Insured	Total Sum Insured	Total Farmer Share	Total State Share
1	Ajmer	665507	127632	8867637536	136669084	313425061
2	Alwar	602931	146012	8852954833	137056101	360814426
3	Balotra	52191	21053	1249821584	41762306	23518517
4	Banswara	282966	25284	1410437145	21155143	28309787
5	Baran	307054	88967	8961375840	135664408	112282418
6	Barmer	204060	108733	6938124141	304508176	124875159
7	Beawar	193439	34472	2709726720	57060566	35536533
8	Bharatpur	698483	35883	3734431428	56013040	50153618
9	Bhilwara	501868	79925	6340536935	95106488	89917929
10	Bikaner	699775	326133	18746432608	326376485	385412614
11	Bundi	314135	75146	7007425108	105109781	26023102
12	Chittorgarh	738761	99498	9227516493	142740629	159536962
13	Churu	521729	564971	19428410057	306369323	1897115822
14	Dausa	250918	18809	1833761761	27505279	20914237
15	Deeg	681259	31887	3335924965	50035511	46669641
16	Dholpur	71784	6374	680398563	10205634	18300578
17	Didwana-Kuchaman	145864	62576	4182188567	86837566	62508175
18	Dungarpur	281220	16906	804653110	12068351	6163005
19	Hanumangarh	2350273	345031	24387325414	365798237	1160423766
20	Jaipur	1169321	127377	9584036723	143754786	132899699
21	Jaisalmer	75244	127964	7391768625	186683784	164092838
22	Jalore	387579	169200	12996547643	455460971	361688076
23	Jhalawar	552970	100899	9547089429	188824793	113753497
24	Jhunjhunu	575187	143845	11684327456	175481688	327815110
25	Jodhpur	127574	62716	5077840346	158498974	97415642
26	Karauli	133565	12955	1285924203	19288193	8757716
27	Khairthal-Tijara	91820	8502	902519495	13537327	4438128
28	Kota	232480	71962	7079851874	118733262	135957948
29	Kotputli-Behror	167564	17675	1736248958	26042904	12941585
30	Nagaur	115529	98823	6656796163	176636714	113840711
31	Pali	119981	71119	4808289802	76349878	72395854
32	Phalodi	57191	42153	3451233814	110519604	61456027
33	Pratapgarh	122562	26203	2163234082	33712237	32778087
34	Rajsamand	82675	8562	620534939	9307628	11798424
35	Salumbar	108278	8739	532921143	7993290	6831189
36	Sawai Madhopur	354479	48667	4571659529	68573279	57752622
37	Sikar	548293	140741	10265675873	156560593	181243499
38	Sirohi	41387	13469	957368846	16772629	15468571
39	Sri Ganganagar	1146557	157549	14027927625	210413874	171796710
40	Tonk	670199	152381	13746444200	206193470	113645117
41	Udaipur	142191	14770	905155539	13576649	12195207
	Grand Total	**16586843**	**3841565**	**268692479115**	**4990958635**	**7132863607**

10 Year AY Data of Newely Added Crop_Combination

Season	District	Crop	IU Level	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kharif	Bikaner	Sorghum (Jowar/Great Millet)	Tehsil	545	610	583	832	707	1410	380.89	290	893	811
Kharif	Deeg	Paddy (Dhan)	Tehsil	3506	3422	3221	3766.44	4309	4413	4156	3104	4179	2818
Kharif	Didwana-Kuchaman	Sorghum (Jowar/Great Millet)	Tehsil	721	581.89	317.06	625.04	760.53	792.56	681.18	736.80	507.59	592.67
Kharif	Rajsamand	Pearl Millet (Bajra)	Tehsil	789	997	906	891	1187	1335	995	1296	1030	1234
Kharif	Sawai Madhopur	Sorghum (Jowar/Great Millet)	Tehsil	545	604	583	833	709	1055	863	891	891	811
Kharif	Udaipur	Groundnut (Pea Nut)	Tehsil	476	883	768	887.5	684.625	1939	1298.81	1356.44	2281	2026
Rabi	Ajmer	Isabgol	Tehsil	472	521	542	580	512	556	563	382	531	772
Rabi	Balotra	Rocket Salad (Taramira)	Tehsil	228	332	371	711	602	645	565	519	444.032	392
Rabi	Chittorgarh	Rocket Salad (Taramira)	Tehsil	438	416	628	713	603	645	565	521	521	420
Rabi	Karauli	Rocket Salad (Taramira)	Tehsil	434	417	371	711	602	645	565	520	520	420
Rabi	Khairthal-Tijara	Bengal Gram (Chana)	Tehsil	876.60	1558.93	1486.40	1392.97	1378.97	1442.69	1648.89	1584.60	1655.11	1773.45
Rabi	Pratapgarh	Maize (Makka) - Rabi	Tehsil	1424	1512	1915	2106	1423	2227	1843	2081	2269	2499
Rabi	Sirohi	Isabgol	Tehsil	472	519	543	576	512	556	562	381	531	772